[Shri B. K. Gadhvi]

English and Hindi) of the estimated receipts and expenditure of the Government of Karnataka for the Year 1989-90. [Placed in Library. *See* No. L.T. 8085-A/89]

---

**EMPLLOYEES' STATE INSURANCE (AMENDMENT) BILL, 1989—Contd.**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHAD BAIG): Mr. Dipen Ghosh.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, first of *all, let me convey my thank and cong*ratulation to you because, after your becoming a Vice-Chairman on the panel, this is my maiden speech. This is my maiden speech during your Vice-Chairman and so, I think I would not be disturbed.

SHRI RAOOF VALIULLAH (Gujarat): So, if he asks for five minutes, give him ten minutes.

SHRI DIPEN GHOSH: This is my maiden speech while he is in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHAD BAIG): You were not here.

SHRI DIPEN GHOSH: I was here but I had no oppportunity to speak when you were in the Chair.

Mr. Vice-Chairman, while resuming my suggestion about referring the Bill to a Select Committee, I would like to point out one more thing. Actually, the Ministry of Labour had taken Seven Years to consider the recommendations made by the Committee which was set up in 1981 and which submitted its reports in 1982. Earlier to that Committee there was another Committee which was set up in 1975 and which submitted its reports in 1978. Between 1978 and 1981 the Government had considered the recommendations but brought certain amendments though those amendments were not comprehensive. In the meantime the Government set up another committee, and that committee submitted its report in 1982. Seven years have elapsed. It may be seven years each. However, in these 7 years they have been considering these recommendations and they have brought an amending Bill. The Bill itself contains certain good suggestions, good proposals, for amending the major Act. But at the same time, the Bill suffers from certain serious flaws, some retrograde suggestions and therefore I think this should be referred to a Select Committee—even a Select Committee of Rajya Sabha, because the Lok Sabha election is round the corner. A Rajya Sabha Select Committee can have an in depth study and make its report by the next session. In that case the Members of Parliament will have the opportunity to go deeper into the issue and make their suggestions, because the Employees' State Insurance Scheme is a very important social security scheme. While giving benefits to the workers in the organised sector and non-seasonal workers, since the Act was passed, our people and the working class have undergone a sort of experience which is not very happy in general, because if you go to any worker's quarter if you go to any factory area, if you talk to any individual worker and group of workers or their associations or unions, you will find how critical they are of the managing of this scheme. There are two aspects. One is controlled by the Central Government and the other medical scheme is controlled by the State Governments. There are contributions made by employers and the workers for the maintenance and running of the scheme. State Governments also incur expenditure and pay something. But the Central Government does not pay anything to the fund for the benefits under this scheme to the workers. But the Central Government is managing. The Central Government is controlling. The Central Government is suggesting certain amendment to the Act but the Central Government pays nothing for the benefits to be extended to the workers under this Act.

So, this position needs to be rectified. The Centre's involvement in financing

this beneficial scheme is most important. No amendment or no suggestion has been made in this amending Bill, making it obligatory on the part of the Centre to be involved in financial obligations, in making financial commitments in rendering these benefit to the workers.

Secondly the ESI Corporation—what is it? Is it an autonomous body or is it a Government department? By going through the Act, by going through the amending Bill and by going through the way the ESI corporation functions, Mr. Vice-Chairman, Sir, you will find it is neither an autonomous body in the truest sense nor a Government department. But the whole purpose and object of the Act was to constitute an autonomous organisation, an autonomous body represented by the employers, the employees, the Central Government and the State Governments within the framework of the Act and with the subordinate legislation power given to the authority of the ESI corporation, the ESI corporation is supposed to run as an autonomous body. But we have seen that in every aspect there is a remote control system—the remote control system run by the Labour Ministry from the Shram Shakti Bhavan which intervenes and interferes with the functioning of the ESI corporation with every aspect. I do not have that much of time. However, if you go through the amending Bill, in certain cases, it is true that more powers have been sought to be given to the corporation but generally the tendency is to keep powers with the Central Government and to take advantage of those powers for interfering with the autonomous activities of this corporation. Thirdly, the ESI corporation functions through the regional directorates and the sub-regional offices and because the beneficiaries are at the grass-root level, the functioning of the corporation in the matter of giving benefits is done more by the regional offices and the sub-regional offices. But so far as powers of the sub-regional or the regional offices are concerned, you will see that the regional bodies are merely the implementing authorities of the Central authority. The regional bodies need to be given more powers. The power should also be decentralised to the sub-regional offices. In this amending Bill, generally speaking, no care has been taken to see that the regional bodies of the ESI corporation are given more powers and the sub-regional offices are also given the right to exercise certain powers.

Fourthly, I should forward the Government that there is an attempt to take away the management of the medical scheme from the States to the Centre. It is true that there is some mismanagement of the medical scheme at the State level but at the same time, without taking steps to rectify those irregularities or flaws or without taking steps to improve the functioning of the medical scheme, if it is considered that shifting the running of the medical scheme from the States to the Centre will be a panacea, then I should say that it is wrong. It will be wrong on the one hand and on the other, it will cause inroads into the powers of the State Governments. When this question relating to Centre-State relationship came to the fore on various occasions in respect of various problems, a Commission, the Sarkaria Commission, was set up. Its report is still under study. Then no step should be taken whether in the case of the ESI Corporation or in any other matter which would cause further inroads into the powers of the States.

Now, Sir, I would like to point out certain other things about the proposed Amendment Bill, clause by clause. It is good that there has been an attempt to extend the coverage of the provisions of this Act. And it has now been proposed to make the Act applicable simultaneously to factories and other establishments where that is applicable in a State to such factories and other establishments in any other parts of the State. But, Sir, as you know, in

[Shri Dipen Ghosh]

the Bill itself it has been sought to be inserted in clause 2:

> "Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to a factory or establishment belonging to or under the control of the Government whose employees are otherwise in receipt of benefits substantially similar or superior to the benefits provided under this Act."

Who will decide whether the benefits rendered by certain other government or government organisations or public sector undertakings are similar or superior to the benefits under this Act? But, in a general term, the applicability of this Act has been sought to be restricted to certain seasonal workers of certain factories or industries or establishments. But there are unorganised workers. If it is a social security scheme, for whom is the social security scheme more necessary? Tatas and Birlas, on their own, can provide certain social security schemes to their workers. A social security scheme like the ESI is all the more necessary in the case of casual workers, contingent workers and work-charge workers in the unorganised sector. So, though in the Amending Bill some steps have been suggested to extend the coverage of the scheme, in respect of unorganised workers, organised workers in the scattered industries and in respect of casual contract labour, work-charge labour—even though I do not call them seasonal—there is no provision. As regards eligibility condition, Mr. Vice-Chairman, previously, thirteen weeks' work and one day's work in a week was considered as a week for the purpose of eligibility clause. By a previous amendment it was changed and, instead of weeks, now it is calculated in terms of days and after 91 to 92 days' work he will become eligible. That is the present position. In that case, what does this "91 to 92 days" mean? As you know, in the case of casual workers or contingent workers in order that the ESI or Provident Fund or other benefits are not required to be extended or given as soon as a workers works for 90 days, he is put off for two or three days and then he is re-employed. Now, a proposal has been made with regard to the period and conditions of grant of benefits. But what is the proposal? "Any change in these provisions requires the amendment of the Act which usually takes time." This is the Minister's statement. He has said:

> "It is, therefore, now proposed to provide for prescribing all these matters in the rules."

As regards the ceiling, the wage ceiling for coverage, rates of contribution, period and condition of grant of benefits, wage limit for exemption for employees' share, all these are governed by the specific provisions of the Act and any change in these provisions would require an amendment of the Act. Therefore, he has said that it is now proposed to provide for prescribing all these matters in the rules. Prior to the previous amendment, calculation was done according to weeks and one day's work in one week was considered a week's work for the purpose of eligibility. But by the previous amendment, it was made in terms of days and it was made on the basis of 91 to 92 days thereby giving an opportunity or handle to the employer to employ a casual labourer for 90 days and then to put him off for one day and then again re-employ him so that he is denied the benefits of the ESI. Now when such a voluminous amending Bill has been brought forward, it is being said that these provisions are to be amended which takes time and, therefore, the authority or the power to make subordinate legislation is being given to the Government and they will make the rules. But what prevents the Government first from changing the Act taking advantage of this amending Bill? The Government could have taken advantage of this amending Bill to propose a better calculation method and then give further powers of subordinate legislation to the corporation to make rules. That has not been done and it is being left to the

Government. If the Government makes any rule, it is so much so good. But, if the Government makes any retrograde rule, what is to be done? So instead of taking advantage of this amending Bill, suggesting certain amendments to the provisions of Act for the benefit of the workers and then giving the Government powers of subordinate legislation to make rules straight away the powers are being sought to be given to the Government to make rules without making any provision, compulsory or obligatory provision, on the Government. So, what type of rules will they make? Similarly, there is the question of ceiling *Time bell rings*).. I will not take much time. Only three or four points I have to make.

With regard to the ceiling Rs. 1,600 is the limit. When there was this limit, sixteen hundred rupees as pay, it has already been increased to two thousand five hundred rupees even in the case of the Bonus Act. Now, it is said that since this is also a provision of this Act, changing this provision takes time! So now the Government is being given the power to make rules. But, in order to give these powers to the Government to make rules. You have brought an amending Bill, and in that amending Bill itself you could take care of it for the moment and then give the powers to the Government. What was the difficulty? What prevents you from suggesting the increase in the ceiling up to two thousand and five hundred rupees and then, by a sub-clause, if you thought it necessary, you can say that the Government might consider and make rules? So, Mr. Vice-Chairman Sir, I think that here an amending Bill has been brought forward to amend the Act for giving powers to the Government to make rules as regards wage ceiling, grant of benefit, etc. on the plea that these are provisions the amending of which is time-consuming, and they have not taken advantage of this Bill to suggest certain measures whereby some more benefits could be given to the workers.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Is it not decentralisation?

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, the other day.....

**श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे:** जो आप चाहते हैं उसी परपज के लिए **वह** अमेंडिंग है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIIRMAN (SHRI last, Sir, our Minister, Mr. Krishna Kumar, intervened and spoke on this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Please conclude now.

SHRI DIPEN GHOSH: He spoke on this and regarding the cashew workers, he promised—I think on your behalf, Mr. Minister—to the cashew workers that by the 15th of August, the implementation of this amending Bill, if possible would be announced.

SHRI BINDESHWARI DUBEY: He did not speak on behalf of the Government. He spoke as a Member, as a Member from Quilon.

SHRI DIPEN GHOSH: He has stated like this and I quote:

"It is as the Member of Parliament from Quilon that I have taken the liberty of announcing that before the 15th of August possibly, the Government of India will not only be able to get this Bill passed in both the Houses, but also to promulgate the administrative scheme so that in this season itself the revised wage period criteria will be available to the cashew workers of Kerala so that in this period itself, 45 days or whatever is the period that is fixed by the Government, those who satisfy the criteria will be entitled to the full ESI benefits, etc. etc. ... "

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Still fifteen days are there, Mr. Ghosh.

SHRI DIPEN GHOSH: Do you believe that it will be possible?

SHRI BINDESHWARI DUBEY: Can that be treated as a commitment by the Government?

SHRI DIPEN GHOSH: I think in this amending Bill itself some more amendments could be proposed extend- the ceiling, lowering the period of eligibility etc. and then giving the powers to the Government for making the rules. This is my criticism. I am going to conclude now. Our other leaders are there and they will point at other things.

3.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Can you pass on your suggestions to others?

SHRI DIPEN GHOSH: The amending Bill in clause 25 for section 63 of the principal Act says:

"For section 63 of the principal Act, the following section shall be subsituted, namely:—

'Save as may be provided by the regulations, no person shall be entitled to sickness benefit or disablement benefit for temporary disablement on any day on which he works or remains on leave or on a holiday in respect of which he receives wages or, on any day on which he remain on strike'."

The principal clause says:

"No person shall be entitled to sickness benefit or maternity benefit or disablement benefit for a temporary disablement in respect of any day on which he works or receives wages."

The addition that has been sought to be is:

"...remains on leave or on a holiday in respect of which he receives wages or on any day of which he remains on strike."

What is the idea behind this clause? This benefit will be given only to those persons for those days for which they will not receive any wage. If he reves wages on a holiday, if he receives wages for leave, then such benefit will not be given. Here it is presumed that strike has been sought to be included, that if there is a strike they will get wage. Is it that presumption? You are a labour leader. You are a champion of the labour. You have had the history of organizing a number of strikes and also asking for wage for the strike period and getting wage back in the strike period.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Now please conclude. More than half an hour you have taken.

SHRI DIPEN GHOSH: I will take two minutes more.

Naturally I think it is wrong to presume that the workers will have to go in for strike action, whether it is legal or illegal, with wage. The High Court has passed orders for giving wage back during the strike period. There are so many High Court orders for that.

Lastly, Mr. Vice-Chairman, about the ESI Corporation employees themselves. Here certain provisions have been sought. The Director-General has been given certain powers. About their wages and salaries they have stated that only after the prior approval of the Central Government they can do so though it is supposed to be an autonomous body. I would like to draw your attention to only one point.

Some powers have been sought to be given relating to the setting up of machinery for taking offending employers to task, etc. etc.

In the Financial Memorandum of this amending Bill it has been suggested—I quote:

> "All these officers will have to be provided with suitable supporting staff like Inspectors, Personal Assistants, Upper Division Clerks, Lower Division Clerks....The total posts required including those of officers will be about 142."

In order to exercise the powers sought to be given to the ESI Corporation under this amending Bill it requires 142 people. Then it is said:

> "The entire staff requirement of the proposed recovery machinery will be provided by suitable redeployment of the existing staff. There would not therefore be any additional expenditure on staff."

Does it indicate that they are going to declare some employees of the ESI Corporation as surplus in order to redeploy them for this new work which will be assigned to the E.S.I Corporation? There has already been a cadre restructure in the E.S.I. Corporation in 1987. After this Amending Bill becomes a law, certain new work will be assigned to the Corporation. 142 people will be required for various categories of jobs. In the Financial Memorandum it is being stated that no extra expendiiture will be incurred on account of these 142 people because they will be shifted to the new job after redeployment. It means that they will be declared surplus in other areas and they will be taken away. I am opposed to it. You are going to give some powers to the E.S.I. Corporation. In order to exercise those powers, they will reuire officers and men. The Central Government must incur certain expenditure on these officers and men and allow more recruitment and promotions of the existing employees. Without doing that, you cannot ask the E.S.I. Corporation to discharge their new responsibilities.

SHRI RAOOF VALIULLAH: Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Employees' State Insurance (Amendment) Bill, 1989 mainly because it is one of the most progressive legislations which have come in this House. I also oppose Mr. Dipen Ghosh's suggestion that it should be referred to a Select Committee of this House or to a Joint Select Committee. The legislation which is on the Statute Book today is full of shortcomings. I would narrate as to what the loopholes in the existing Act are. My suggestion is that the Consultative Committee of the Ministry of Labour could constitute a Working Group from amongst its Members as they did for Rural Labour under the chairmanship of our colleague, Mr. Gurudas Das Gupta. Then they could come out with more effective suggestions that could be incorporated in this Act. But the Bill, as it stands today, deserves to be considered and possed.

Sir, the Statement of Objects and Reasons is very elaborate and clear. The Bill is an outcome of the recommendations of the two committees, however long they might have taken. The first committee was set up in 1975. That was a committee of the Corporation itself and it submitted its report in 1978. The second committee was a committee of the Ministry of Labour which was set up in 1981 and that committee submitted its report in 1982. I would certainly question the Government as to why such a long time was taken to incorporate their recommendations in this Bill. Therefore there is a good reason to say that the recommendations of these two committees were kept in abeyance and later on some of the recommendations were incorporated and some are not incorprated even now. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what are the recommendations that have been accepted and what are the recommendations that have not still been accepted. Could you enlighten us on this aspect?

Sir, annually, the Conferences of State Labour Ministers have **always**

[Shri Raoof Valiullah]

pointed out to the worsening state of affairs of the Employees' State Insurance Scheme. They have been agitating that they should be either Government Department fully or an autonomous Corporation. I would like to know why these recommendations of the State Labour Ministers' Conference have not been accepted by the Labour Ministry.

Secondly, Sir, there was a recent Government review of the Scheme, and that Review revealed the durability in the administration of the medical services and the shortage of doctors and drugs. I would also like to know from the hon. Minister whether such a review was undertaken by your Department or your Ministry and if that was so why is the Government not taking a decision to make this Scheme effective and really in the interest of the workers. Sir, that Review also pointed out that there was a shortage of specialists, there was even a shortage of ambulances, and there was delay in the extension of the Scheme. Sir, the Directors in-charge of the medical side are employees of the State Governments. And there has been a complaint, rather an allegation that these doctors indulge in false certification thereby causing great loss to the Corporation. If that is so, what is the Government doing? And I would like to know whether by bringing such a comprehensive piece of legislation why these practical things could not be taken into consideration.

Sir, another thing is what Mr. Maheswarappa pointed out on Friday. Sir, it has been brought out by experts that the loopholes in the ESI Scheme, in the Factories Act and in the Workmen's Compensation Act were responsible for widespread occupational diseases. Sir, the other day, the hon. Member pointed out several occupational diseases. Sir, there was a high-level conference, organised in Delhi where experts pointed out what these occupational diseases were. Has the Government taken that into consideration? And if so, what have they done? Sir, under the Factories Act, some 34 specific occupational diseases have been pointed out, rather identified. But still these things do not find a place anywhere. Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what concrete steps his Ministry is taking to incorporate *vis-a-vis* the Employees State insurance Act. Sir some of the measures were pointed out by the Seminar. They had given their recommendations, and Speaker after Speaker pointed out some remedial measures. Some of them were to identify the nature of occupational diseases in Indian industries. The second was the development of systems to combat those diseases and the training—particularly I am emphasising this aspect—of ESI doctors to combat these diseases. I want to know whether such a training programme has been set up whether such a training programme has been evolved so that the ESI doctors can also be fully equipped to combat these occupational diseases. I would like to know from the hon. Minister whether such a training programme has been evolved, and if at all there is such a training programme, whether our ESI doctors are fully competent to combat these occupational diseases.

Sir, my hon. colleague, Shri Dipen Ghosh mentioned about casual labour. I would like to point out to the hon. Minister a recent judgment of the Supreme Court in which the definition of 'employees' under the Act was given a very wide meaning. Sir, the Supreme Court judgment stated that the employees who work outside the business premises but whose duties were connected with the business were also employees within the meaning of section 2, sub-section (9)(i) of the Act. Now in view of this, there was a writ petition by the owners of a Band group, some Jiyaji Band group in Delhi and the Supreme Court gave a very sound and a very good judgment

that the casual labour, the casual employees, though they may be seasonal, though they my be casual, were also employees as defined in section 2 of the Act. I would like to know from the hon. Minister whether in dealing with this casual labour and seasonal labour, whether the provisions of the Act are fully competent to safeguard the interests of those casual labourers. I would like to know from the hon. Minister a categorical reply whether such contingencies are also taken care of under this Act.

Sir, about the coverage that Mr. Dipen Ghosh was talking about today only 580 industrial centres and a couple of lakh employees are covered but with the addition of this seasonal and casual workers the coverage would go far beyond what has been stated. Has this contingency also been taken into account by the Labour Ministry, I would like to know from the hon. Minister.

Sir, the state of affairs and the maladministration in the ESI Scheme is something for which the Labour Ministry has to account for Sir, last year a survey was undertaken by the Times of India, Ahmedabad Edition, about what is happening with this ESIS. In Ahmedabad city 60,000 workers marched to the ESI Corporation and submitted voluntarily their cards. They wanted to opt out of this scheme. If this is the state of affairs I think the hon. Ministry and the Labour Ministry has to thin twice and see how effectively the scheme is implemented.

Sir, the situation in the rural areas is even worse. Even after 25 years of its existenec, the ESI directorate is yet to introduce mobile dispensaries which would cater to workers, to employees, in the rural sector. My charge is that this Corporation and this Scheme is basically meant for urban employees. Nothing is being done in the rural areas. I would like to know from the hon. Minister what is has reaction on this point, whether the coverage would be extensive in the rural areas also and whether mobile dispensaries by the ESIS would be provided.

Sir, the fundamental question in the operation of this Scheme is that the workers for whom the scheme works, have no voice in the running of the Corporation or of the scheme. Sir, the recent Bill suggests that the advisory boards will be in charge and there will be four to five workers' representatives included. But, Sir, actually the workers have no say in the functioning or working of the Corporation. Sir, in an article recently published the nomenclature of the 'State Employees Insurance Scheme' was substituted for 'Employees State Insurance Scheme'. It is known as Employees State Insurance Scheme and it was termed as 'State Employees Insurance Scheme' because it is functioning under the State. And, the therefore, if this is the condition of the employees. I think it is high time that the Labour Ministry would work further on the recommendations of those two committees and on the experience of the employees, particularly in the urban areas, and also the rural areas, and make it more effective.

I would like to mention one or two things about the actual sections which, to my mind, are anti-labour and anti-worker. As pointed out by Mr. Dipen Ghosh, I want to reiterate about section 63. The original section 63 is to be substituted by the new section, and I feel the provision which says :"....benefit for temporary disablement on any day on which he works or remains on leave or on a holiday in respect of which he receives wages or on any day on which he remains on strike", is anti-worker and anti-labour. I certainly do not subscribe to this view. Strike is a legitimate right of a worker and to include strike in this new section, to my mind, is anti-worker and anti-labour.

You now see section 86A. You would find that the new Bill has become so liberal with respect to the employers when it says: "....if he proves that

[Shri Raoof Valiullah]

the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence" he is pardoned. Why should the employer be pardoned? Even if the act was committed without his knowledge, he is responsible. On the one hand you are being liberal to the employers, and on the other hand, you are going against the interest of the workers.

These two sections are totally against the interest of the workers. I feel if the Bill is meant for the workers and employees, it should be totally for the workers and the employees and not take sides against the labour and in favour of employers.

With these words, I thank you for the opportunity given to me.

**श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान** (आन्ध्र प्रदेश) : जनाब वाइस चेयरमन साहब, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं और फिर मैं अपने लिए बाइसे-फख्र समझता हूं कि पहली दफा मुझे आपकी वाइस चेयरमैनशिप मे बोलने का इत्तिफाक हुआ है। जहां तक इम्प्लायीज स्टेट इंश्योरेंस बिल का सवाल है, मैं यह अर्ज करूंगा कि 1948 में यह बिल पास किया गया, फिर कोई 15 साल तक इसको मजीद इल्तवा में रखा गया और फिर इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन अमल में आया। इस बिल के जरिये एक ई०एस०आई० कारपोरेशन बनाया गया और ई० एस० आई० कारपोरेशन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी कि जितना भी इसका इम्प्लीमेंटेशन है वह इस कारपोरेशन के जरिये हों। मगर मुझे यह कहते हुए इंतहाई अफसोस होता है कि जिस तारीख से इस बिल का निफाज अमल मे आया उस तारीख से सही मानों में और जिस अगराज और मकासिद के तहत यह ई०एस०आई० कारपोरेशन कायम किया गया और यह बिल पास किया गया उस अगराज मकासिद की तकमील नहीं हो सकी और इंतिहाई गैर-इतमीनान बख्श तरीके से उसका निफाज अमल में आया। मुलाजिमान को, इम्प्लायीज को जो इस बिल से फायदा हासिल होना चाहिए था, जिस तरीके से, वह फायदा हासिल नहीं हो पाया। इससे पहले भी कहा जा चुका है कि ई०एस०आई० का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वह न तो किसी आटोनामस बाडी के तारीख में आता था और न ही यह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था। जब इस किस्म का उसमें कन्फ्यूजन था तो जाहिर है कि ई. एस. आई. कारपोरेशन किस तरह से एक अहल इंदारा बन सकता था। लिहाजा करीब 40-42 साल के बाद आज इस बिल में इसका अमेंडमेंट हो रहा है। मगर यहां पर भी मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि जिन प्रोग्रेसिव अंदाज में इसका अमेंडमेंट होना चाहिए था, उस तरीके से इसका अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। हालांकि कोई 40-42 सालों के बाद इस किस्म का अमेंडमेंट लाया गया है, इस वजह से अभी हमारे कोलीग, दीपेन घोष साहब की जानिब से आज यह तजवीज रखी गई है कि इस बिल को एक जायंट सिलेक्ट कमेटी के हवाले किया जाए, ताकि उस जायंट सिलेक्ट कमेटी में बेहतर से बेहतर अंदाज में इस बिल पर गौरोखोज किया जा सके और फिर उसकी जो भी तजावीज होंगी, वह हाउस में आयेगी, तो हाऊस में इस पर कनसीडर करने के लिए और इस पर बहस करके इसमें अमेंडमेंट करने के लिए एक बेहतर मौका मिल सकेगा।

अब मुझे यहां पर यह कहना है कि सब से पहले ई०एस०आई० कार्पोरेशन के तहत जो हस्पताल चलाये जाते हैं, उन हस्पतालों का इनतहाई नाखिस इंतजाम है, न तो उन हस्पतालों में असली हालात मुहैया किये गये हैं और न ही सही तरीके से वहां पर कोई आपरेशन थियेटर वगैरह का इंतजाम है और न ही उन हस्पतालों में मरीजों के लिए कोई अच्छे बेड्स वगैरह मुकर्रर किये गये हैं। जब दुनिया ने इतनी तरक्की की है और फिर हिंदुस्तान में कई अच्छे-अच्छे हस्पताल मौजूद हैं, तो जब हम ई०एस०आई० हस्पतालों को

देखते हैं, तो हमें इनतहाई अफसोस होता है।

इस वजह से यह जरूरी है कि सब से पहले हमारे जो हस्पताल हैं, उनका बहतरीन इंतजाम किया जाए ताकि हमारे इम्पलायीज़ जब वह हस्पतालों में जाए, तो बेहतर से बेहतर इलाज वह ले सकें।

दूसरी बात हस्पतालों की इनतहाई कमी है और अभी जैसा कि कहा गया है कि जो भी हस्पताल है, वह सिर्फ अर्बन एरियाज़ में है और रूरल एरियाज़ में इस किस्म के बहुत ही कम हस्पताल रखे गये हैं और रखे भी गये हैं, तो काफी दूरी के फासले पर रखे गये हैं। इस वजह से जरूरत इस बात की है कि यह हस्पतालों की जो कमी है, यानी ज्यादा हस्पताल खोले जाएंगे और खास तौर पर जहां हमारी रूरल पापुलेशन है हमारे विलेजज़ में जो रहती हैं, वहां पर भी अच्छे किस्म के हस्पताल खोलें जाए।

फिर जैसा कि अभी कहा गया है कि डाक्टर्ज़ की भी बहुत कमी है बेहतरीन डाक्टर्ज़ और स्पेशलिस्ट डाक्टर जो हैं, उनका इतजाम किया जाना बेहद जरूरी है और फिर दवाओं के भी ताल्लुक से यह देखा गया है कि जो कुछ उनको प्रेसक्राइब किया जाता है, वह मेडिसंस उनको दवाखानों में नहीं दी जाती। जब मेडिसंस ही दस्तियाब नहीं है दवाखानों में, तो किस तरह से मरीजों का इलाज हो सकेगा। यह बुनियादी जरूरतें हैं, जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं और मुझे पूरी त्वक्को है कि हमारी लेबर मिनिस्टर साहब इस जानिब जरूर त्वज्जह देंगे और इन दवाखानों के बेहतर से बेहतर हालात की तरफ त्वज्जह देते हुए इनको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे।

फिर इसके बाद हमारे पास कई तरह के इलाज हैं, मिसाल के तौर पर एलोपैथिक तरह का इलाज है, होम्योपैथिक तरह का इलाज है, आयुर्वेदिक तरह का इलाज है, यूनानी तरह का इलाज है। जरूरत इस बात की है कि जो यह स्कीम आ रही है भारत के लिए, यानी भारत के शुमाल में भी, जनूब में भी, मशरक में भी, और मगरब में भी बराबर इस तरह के दवाखाने होने चाहिए, तो इन तमाम तरह के इलाज का वहां इंतजाम होना चाहिए, एलोपैथिक का भी, आयुर्वेदिक का भी, होम्योपैथिक का भी और यूनानी तरह के इलाज का भी इंतजाम होना चाहिए ताकि मरीज भी अपनी पसंद के तरीकाए इलाज के तहत वहां पर जाएं और उस तरह के इलाज से पूरा-पूरा फायदा हासिल करें

इसके बाद जैसा कि अभी कहा गया है, कैजुअल वर्कर्ज इस स्कीम से पूरा इस्तफादा हासिल नहीं कर सक रहे हैं। लिहाजा, जरूरत इस बात की है कि कैजुअल वर्कर्ज को भी इस स्कीम के तहत कवर किया जाए। और फिर खास तौर पर ड हमारे मुअजिज मिनिस्टर साहब की तवज्जह से जानिब दिलाना चाहता हूं कि समें जो फंड मुहैया होता है वह सिर्फ इंप्लायर और इंम्प्लाइज के जो कंट्रीब्यूशन होते हैं सिर्फ वही फंडज के जरिए यह पूरी स्कीम चलाई जाती है। इसमें सैन्ट्रल गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं लगता और यह जो कंट्रीब्यूशंज होते हैं ये खतम इस काबिल नहीं होते कि यह पूरी स्कीम को इंतहाई कामयाबी के साथ और इंतहाई मुअसिर अंदाज में चलाया जा सके। इस वजह से जरूरत इस बात की है कि हमारी मरकजी हकूमत में भी जो है जिसमें खातिरखाह फंड से भी जो है इन अगराज़ ओ मकासिद के तहत यह स्कीम कायम की गई है उसकी तकमील हो सके।

इन चंद अलफाज के साथ, जो मुझे टाइम दिया गया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

[شری محمد خلیل الرحمان]†

(آندھرا پردیش) : جناب وائس چیرمین صاحب - سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

[شری محمد خلیل الرحمان]

ہوں اور پھر میں اپنے لئے باعث فخر سمجھنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ مجھے آپ کی وائس چیرمین شپ میں بولنے کا اتفاق ہوا ہے - جہاں تک ایمپلائز اسٹیٹ انشیورنس بل کا سوال ہے - میں یہ عرض کرونگا کہ ۱۹۴۸ع میں یہ بل پاس کیا گیا - پھر کوئی ۱۵ سال تک اسکو مزید التوا میں رکھا گیا اور پھر اس بل کا امپلیمینٹیشن عمل میں آیا - اس بل کے ذریعے ایک ای - ایس - آئی - کارپوریشن بنایا گیا اور ای- ایس- آئی - کارپوریشن کو اسکی ذمہ داری سونپی گئی کہ جتنا بھی اسکا امپلیمینٹیشن ہے - وہ اس کارپوریشن کے ذریعے ہو - مگر مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی افسوس ہوتا ہے - کہ جس تاریخ سے اس بل کا نفاذ عمل میں آیا اس تاریخ سے صحیح معنوں میں اور جس اغراض و مقاصد کے تحت یہ ای - ایس - آئی - کارپوریشن قائم کیا گیا اور یہ بل پاس کیا گیا اس اغراض مقاصد کی تکمیل نہیں ہو سکی - اور انتہائی غیر اطمینان بخش طریقے سے ان کا نفاذ عمل میں آیا - ملازمین کو ایمپلائز کو جو اس بل سے فائدہ حاصل ہونا چاہئے تھا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پایا ہے - اس سے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ ای- ایس- آئی- کا جو ایڈمنسٹریشن تھا وہ نہ تو کسی آٹونامس باڈی کی تعریف میں آتا تھا اور نہ ہی یہ گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ تھا - جب اس قسم کا اس میں کنفیوزن تھا - تو ظاہر ہے کہ ای - ایس - آئی - کارپوریشن کس طرح سے ایک اہل ادارہ بن سکتا تھا - لہذا قریب چالیس بیالیس سال کے بعد اس بل میں اسکا امنڈمنٹ ہو رہا ہے - مگر یہاں پر مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ جن پروگریسیو انداز میں اسکا امنڈمنٹ ہونا چاہئے تھا - اس طریقے سے اسکا امنڈمنٹ نہیں ہو رہا ہے - حالانکہ کوئی چالیس بیالیس سالوں کے بعد اس قسم کا امنڈمنٹ لایا گیا ہے - اس وجہ سے ابھی ہمارے کولیگ - وپین گھوش صاحب کی جانب سے آج یہ تجویز رکھی گئی ہے - کہ اس بل کو ایک جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیا جائے - تاکہ اس جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی میں بہتر سے بہتر انداز میں اس پر غور خوض کیا جاسکے اور پھر اسکی جو بھی تجویز ہوگی - وہ اس ہاؤس میں آئیگی - تو ہاؤس میں اس پر کنسیڈر کرنے کیلئے اور اس پر بحث کرکے اس میں امنڈمنٹ کرنے کیلئے ایک بہتر موقع مل سکےگا -

اب مجھے یہاں پر یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے ای- ایس - آئی- کارپوریشن کے تحت جو ہسپتال چلائے جاتے ہیں ان اسپتالوں کا انتہائی ناقص انتظام ہے - نا تو ان اسپتالوں میں اصلی آلات مہیا کئے گئے ہیں - اور نہ ہی صحیح طریقے سے وہاں پر کوئی آپریشن تھیئٹر وغیرہ کا انتظام ہے اور نہ ہی ان اسپتالوں میں مریضوں کیلئے کوئی اچھے بیڈس وغیرہ مقرر کئے گئے ہیں - جب دنیا نے اتنی ترقی کی ہے اور پھر ہندوستان میں کئی اچھے اچھے اسپتال موجود ہیں تو جب ہم

ای - ایس - آئی - اسپتالوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے -

اس وجہہ یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمارے جو اسپتال ہیں انکا بہترین انتظام کیا جائے تاکہ ہمارے ایمپلائز جب وہ اسپتالوں میں جائیں تو بہتر سے بہتر علاج وہ لے سکیں -

دوسری بات اسپتالوں کی انتہائی کمی ہے اور ابھی جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جو بھی اسپتال ہیں وہ صرف اربن ایریاز میں ہیں اور رورل ایریاز میں اس قسم کے بہت ہی کم اسپتال رکھے گئے ہیں - اور رکھے بھی گئے تو کافی دور کے فاصلے پر رکھے گئے ہیں - اس وجہہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اسپتالوں کی جو کمی ہے - یعنی زیادہ اسپتال کھولے جائیں اور خاص طور پر جہاں ہماری رورل پاپولیشن ہے ہمارے ولیجز میں رہتے ہیں - وہاں پر بھی اچھے قسم کے اسپتال کھولے جائیں -

پھر جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے - کہ ڈاکٹروز کی بھی بہت کمی ہے بہترین ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو ہیں انکا انتظام کیا جانا بھی بےحد ضروری ہے - اور پھر دواؤں کے تعلق سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اچھی انکو پریسکرائب کیا جانا ہے - وہ میڈیسنس انکو دواخانوں میں نہیں دی جاتی ہیں - جب میڈیسنس ہی دستیاب نہیں ہوں دواخانوں میں تو کس طرح سے مریضوں کا علاج ہو سکےگا - یہ بنیادی ضرورتیں ہیں - جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اور مجھے پوری توقع ہے کہ ہمارے لیبر منسٹر صاحب اس جانب ضرور توجہہ دینگے اور ان دواخانوں کے بہتر سے بہتر حالات کی طرف توجہہ دیتے ہوئے انکو امپرو کرنے کی پوری کوشش کرینگے-

پھر اسکے بعد ہمارے پاس کئی طرح کے علاج ہیں - مثال کے طور پر ایلوپیتھک طرح کا علاج ہے - ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے آیورویدک طریقہ علاج ہے - یونانی طریقہ علاج ہے - ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اسکیم آرہی ہے - بھارت کیلئے - یعنی بھارت کے شمال میں بھی جنوب میں بھی - مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی - برابر اس طرح کے دواخانے ہونے چاہئے - تو ان تمام طرح کے علاج کا وہاں انتظام ہونا چاہئے - ایلوپیتھک کا بھی آیورویدک کا بھی - ہومیوپیتھک کا بھی اور یونانی طریقہ علاج کا بھی وہاں انتظام ہونا چاہئے تاکہ مریض آپ اپنی پسند کے طریقہ علاج کے تحت وہاں پر جائیں اور اس طرح کے علاج سے پورا پورا فائدہ حاصل کریں -

[شری محمد خلیل الرحمان]

اسکے بعد جیسا کہ ابھی کہا گیا ہے کہ کیجول ورکرس اس اسکیم سے پورا استفادہ حاصل نہیں کر سکے ہیں - لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ کیجول ورکرس کو بھی اس اسکیم کے تحت کور کیا جائے - اور پھر خاص طور پر میں ہمارے معزز منسٹر صاحب کی توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو فنڈ مہیا ہوتا ہے وہ صرف ایمپلائر اور ایمپلائز کو جو کنٹری بیوشن ہوتے ہیں صرف وہی فنڈز کے ذریعے پوری اسکیم چلائی جاتی ہے - اس میں سینٹرل گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں لگتا اور یہ جو کنٹری بیوشنز ہوتے ہیں یہ قطعاً اس قابل نہیں کہ ان سے پوری اسکیم کو انتہائی کامیابی کے ساتھ اور انتہائی موثر انداز میں چلایا جا سکے - اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مرکزی حکومت میں بھی جو ہے اس میں خاطر خواہ فنڈ دے تبھی تاکہ جن اغراض و مقاصد کے تحت یہ اسکیم قائم کی گئی ہے ان کی تکمیل ہو سکے -

ان چند الفاظ کے ساتھ مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں -]

**श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया** (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इंप्लोइज स्टेट इंश्योरेंस (अमेंडमेंट) बिल, 1989 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और साथ-साथ, अभी हमारे पूर्व वक्ता और विपक्ष के नेता दीपेन घोष जी ने जो सुझाव दिया कि इस अमेंडमेंट बिल को सलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाए इसका विरोध करता हूं । बहुत दिनों से इस बिल में सुधार लाने की कोशिश चली आ रही है । जैसे कि अच्छे से अच्छे हालात में मजदूरों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए रास्ते निकाले जाएं। इसके पहले भी दो कमेटियां पार्लियामेंट में बन चुकी हैं और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट की है । मैं समझता हूं कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को सौंपने पर मजदूरों को मिलने वाली सहूलियतों में और देरी करने की कोशिश होगी और उनको सही वक्त पर सही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी । महोदय, समर्थन करने के साथ-साथ दुख इस बात का भी होता है कि हमारा देश जहां पर उद्योग में काम करने वाले मजदूर साथ-साथ में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत ही अधिक है और उसके बावजूद आज तक ई. एस. आई. के माध्यम से जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध थीं उनमें देखा गया कि कुछ कमी आने लगी और उसको देखने के लिए कोई खास कार्पोरेशन या खास कोई मैनेजमेंट बोर्ड ने नहीं देखा जिसके कारण हमने देखा है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी सदस्यता की संख्या बहुत गिर गई है और आधी से भी कम हो गई है । इसके पीछे जो-जो कारण हैं उन पर विचार करने की जरूरत है । उप सभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे पास जो फिगर है 31-12-87 तक ई.एस.आई. के पास 100 अस्पताल थे। उन 100 अस्पतालों में 18,776 बैड्ज थे और 42 एनेक्सीज थीं जिसमें 842 बैड थे और करीब 1,249 डिस्पेंसरीज चलती थीं ई. एस. आई. के माध्यम से और कुछ अस्पतालों में ई. एस. आई. का अपना बंदोबस्त था करीब 4,168 बैडों की उन्होंने कोई एक एग्रीमेंट कुछ अस्पतालों के साथ कर रखा था । उपसभाध्यक्ष महोदय, सवाल उठता है कि चाहे ई. एस. आई. के तहत कोई आता हो, चाहे राज्य के तहत कोई आता हो और चाहे केन्द्र के तहत कोई आता

हो, क्या बीमारी भी पूछकर चलती है कि भई, हम उसका जो इलाज करने जाते है उसको कम दवाई देने से उसका इलाज हो जाएगा क्योंकि वह ई० एस० आई० के तहत है ? उसको कम ग्लुकोस चढ़ाने से इलाज हो जाएगा क्योंकि केन्द्र के तहत है, ऐसा नहीं है ।

तो महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा जो हास्पीटल चलाए जाते हैं उसमें पर पेशेंट जो पर केपिटा इंवेस्टमेंट है और जो स्टेट द्वारा हास्पीटल चलाए जाते हैं उनमें पर पेशेंट पर केपिटा जो इन्वेस्टमेंट है और जो ई० एस० आई० द्वारा हास्पीटल चलाए जाते हैं उनमें जो पर पेशेंट पर केपिटा जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें फर्क क्यों है ?

इसके साथ-साथ ई० एस० आई० हास्पीटल में जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिएं, उसकी बड़ी शिकायत है । आज हमारे यहां जो आक्यूपेशनल डिसिजेज हैं, उनका सही इलाज करने के लिए कोई विशेषज्ञ हमारे ई० एस० आई० हास्पीटल में नहीं मिलते हैं । अगर मिलते हैं तो जो दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिएं, वह नहीं मिलती हैं । अगर दवायें मिलती हैं तो वह घटिया किस्म की होती हैं, जिससे इलाज नहीं होता है । मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि ई० एस० आई० होस्पीटल में कम से कम केंसर वार्ड, टी० बी० वार्ड, किडनी और कार्डिएक डिसोर्डर के लिए वार्ड होने चाहिएं और इसके स्पेशलाइज्ड डाक्टर हर एक स्टेट में उपलब्ध कराए जाने चाहिएं, जिससे रोगियों का इलाज किया जा सके । यह जो आक्यूपेशनल डिसिजेज हैं, यह काम करते वक्त ही लोगों को होती है । यह जो तरह-तरह के काम के आक्यूपेशनल हेजारडस हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ध्यान देने की जरूरत है कि क्या-क्या प्रीकाशन लिए जायं ताकि यह डिसिजेज न हो सके । जो आक्यूपेशनल हेजारडस हैं, उस पर विचार करने की जरूत है और उसमें इसकी शाखा देकर कुछ रिसर्च पर भी काम किया जा सकता है कि कैसे यहां के मजदूरों को, वर्करों को मदद दी जा सकती है ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसे कि कुछ छोटी ग्लास फैक्टरी हैं, जहां अभी भी पाईप से फूंक कर ब्लो मोलटन ग्लास सिस्टम से काम किया जाता है और लालटेन की चिमनी बनाई जाती है, ग्लास बनाए जाते हैं, छोटे जार बनाए जाते हैं, वहां आम लोगों में देखा जाता है कि वहां के वर्करों को लैन्स प्रोब्लम हो जाती है या किडनी की प्रोब्लम हो जाती है और ई० एस० आई० से कवर्ड होने के बावजूद भी उनको वहां पर कोरोसिन की गोली या एनालजिन की गोली खिला दी जाती है या सल्फा डायजिन या सल्फा ग्वाडिन ही खिलाई जाती है और उनका किसी स्पेशलाइज्ड डाक्टर से इलाज नहीं किया जाता है । इसी तरह जो वर्कर जल जाते हैं, कारखानों में जल जाते हैं, बर्न इन्ज्यूरी उनको हो जाती है तो स्किन ग्राफटिंग का इलाज या बर्न इन्ज्यूरी का इलाज करने के लिए वहां कोई आइसोलेशन रूम या आई० सी० ओ० की सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं इसके साथ-साथ जो टी० बी० पेशेंट हैं, उनके लिए भी आइसोलेशन रूम जो चाहिए, वह नहीं हैं इन्हीं खामियों के कारण, जैसा मैंने अभी कहा पहले कि महाराष्ट्र और गुजरात में मेंबरशिप कम हुई है, लोगों ने अपने आपको विदड्रा कर लिया है इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें ख्याल रखना चाहिए कि ई० एस० आई० के इस कानून में अमेंडमेंट करते वक्त जहां इन खामियों को पूरा किया है, उसके साथ-साथ मैनेजमेंट में भी कढ़ाई आने की जरूरत है इसलिए कि वाकई में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक उपलब्ध कराई जा सकें

महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने अभी कहा कि आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का बंदोबस्त ई० एस० आई० के माध्यम से होना चाहिए क्योंकि यह ट्रेडीशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम है और इसको भी पापुलराइज करने की जरूरत हैं। इसी के साथ-साथ जो अनआर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल लेबर है, उसकी और भी ध्यान देने की जरूरत हैं। अभी इस कानून में जैसा लिखा जाता है—

"Whereon ten or more persons are employed or were employed for wages on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinarily so carried on."

यह जो पावर की बात आती हैं, यहां कहते हैं—सिर्फ पावर से जो कारखाने चलते हैं दस से ज्यादा तक के लोगों के, वहां ई० एस० आई० में कवर्ड होंगे, ऐसा मेरी समझ में आया हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि कई दूसरे ऐसे हैं, जहां पावर का कोई प्रयोग नहीं होता है इनके लेबर्स की संख्या उससे भी ज्यादा होती है। क्या वह ई०एस०आई० के माध्यम से कवर नहीं होंगे। यह अन-आर्गनाइज्ड सेक्टर्स जो हैं उनको कवर करने के लिए प्लस मैं कहूंगा कि यह 10 की संख्या क्यों रखी गयी है। इससे कम करने की जरूरत है क्योंकि स्वास्थ्य अगर खराब होता है तो 2 आदमियों में भी खराब हो सकता है। उसे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारी बनती है इसलिये इस पर विचार करने की जरूरत है।

महोदय, हमारी सरकार ने महिलाओं के वेलफेअर के लिये काफी जोर दिया हैं। महिलाओं के डवलपमेंट और वेलफेअर के लिए बड़े काम किए जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि ई० एस० आई० के माध्यम से कोई अलग वार्ड खोला गया है? क्या उनके रोगों की जांच के लिए कोई अलग विशेषज्ञ रखे गए हैं? अगर रखे गए हैं तो कितने रखे गए हैं और कहां-कहाँ हैं? मंत्रीजी कृपया यह बताने की कृपा करें। मैं कहना चाहूंगा कि इन्हें रूरल और अर्बन दोनों जगह रखने की जरूरत हैं।

महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने जैसा कि सेक्शन 63— Persons not entitled to receive benefit in certain cases— इस सम्बन्ध में, मैं भी इसका विरोध करता हूं कि स्ट्राइक करने का एक वर्कर को अधिकार है और अगर स्ट्राइक करते वक्त वह बीमार हो जाता हैं, उसे चोट लग जाती है या वह अपंग हो जाता है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी एम्प्लायर की होती है। इम्प्लायर को उस जिम्मेदारी से भागने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहां लेबरर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए इस क्लाज में एमेंडमेंट की जरूरत हैं। जो एमेंडमेंट किया गया है, वह सही नहीं है। उसके साथ-साथ एम्प्लायर को बचने की जो कोशिश की गयी हैं, 86 (ए) में जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा हैं, मैं इसका विरोध करता हूं। यहां कहा है—

"Provided that nothing contained in this sub-section shall render any person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence."

इसमें हम कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को, डायरेक्टर या एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर को एक कवर दे रहे हैं जिसके माध्यम से वह अपने आपको बचा सकता हैं। वह कह सकता है कि यह मेरे बताए बगैर या मेरे जाने बगैर मेरे एकाउंटेंट ने, मैनेजर ने या क्लर्क ने ऐसी गलती की है कल को रिटर्न फाइल की बात आती है, ई० एस० आई० के पैसे जमा करने की बात आती है, तो वह कहता है कि यह निग्लिजेंस मेरी नहीं है, क्लर्क की है। तो इस तरह ओनर ट्रांसफर करने, के लिए जो सहयोग दिया जा रहा है इसे रोकने की बात है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने श्रम मंत्रालय के मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि क्योंकि वे खुद भी श्रमिकों के इंटरेस्ट के लिए काम करते आए हैं, सारी उम्र उन्होंने काम किया है, वह श्रमिकों के कष्ट को, उनके दर्द को समझते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वक्त भी इस बिल को पास करते वक्त सदस्यों की ओर से जो सुझाव आए हैं, उन पर विचार करते वक्त वे श्रमिकों के हित का ध्यान रखेंगे। एक मंत्री की तरह नहीं, बल्कि श्रमिकों के हमदर्द की तरह वे उनका ध्यान रखेंगे और इस बिल को जल्दी-से-जल्दी किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसकी वे व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।

**श्री चतुरानन मिश्र** (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बिल इस बात का सबूत है कि सरकार जिस काम को नहीं चाहती है, उसको कितनी देर लगाकर किया जा सकता हैं और जब चाहती है

तो संविधान संशोधन भी 6 महीने के अंदर या एक महीने के अंदर हो सकता है। सन् 1975 से यह सुझाव दिया जा रहा है कि ई० एस० आई० का कानून पुराना पड़ गया है इसमें तरमीम की जाय और कुछ अच्छे प्रावधान किए जाएं। लेकिन वह खटाई में पड़ा रहा। अब उसी सुझाव को, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस बिल में अच्छे ढंग से इस संस्था को चलाने के बारे में विचार नहीं किया गया है, इसलिए इसे सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय... लेकिन हमको यह डर है कि सलैक्ट कमेटी में भेजें तो फिर 10-15 बरस यह पड़ा रह जाएगा। तो इसका क्या इलाज हो? इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जब हमारे पार्लियामेंट की कमेटियां काम नहीं कर पाती हैं समय पर, तो सरकार इस बात पर विचार करे कि सलैक्ट कमेटी का काम कैसे करवाया जाए। बिल को एक दशाब्दी पेंडिंग करके या उसके पहले ही कोई कमेटी रहे जहां सरकार अपने ड्राफ्ट को भेजे और विचार करके जल्द बिल आया करे। नहीं तो अगर सलैक्ट और ज्वाइंट सलैक्ट के भरोसे रहेंगे तो हमको लगता है कि इस शताब्दी में तो यह काम नहीं होने वाला है क्योंकि इधर शताब्दी के खत्म होने में जितने कम बरस बच गये हैं और जितना 15 बरस पीछे था, उतना भी बरस नहीं बचा है कि हम कोई कानून पास करें। यह अगली शताब्दी के लिए रेफर करें। तो यह बड़ी दिक्कत की बात है, यह दिक्कत इसलिए भी है कि हमारे देश में मालिकों को हुकूमत ने छूट दी है, वे बैंक से तो रुपया ले ही सकते हैं, फाइनंशियल इंस्टीट्यूशन का ले ही सकते हैं और प्राविडेंट फंड का भी रुपया लेकर बैठ जाते हैं और सरकार कहती है कि हमको ताकत नहीं है कि हम कुछ कर सकें। अभी ई. एस. आई. का 116 करोड़ रुपया मालिक पक्ष अपने पास रखे हुए हैं। वह देता नहीं है और सरकार भी कुछ करती नहीं है और हमारा जो श्रम मंत्रालय है, उसके तो दांत नहीं हैं, वह तो धमना सांप हैं, वह फन उठाएगा ज्यादा, काटेगा किसी को तो विष ही नहीं चढ़ेगा। इसको अपनी पावर ही नहीं है, दांत ही नहीं हैं, तो वह करेगा क्या? जिनको दांत हैं, वह इस पर कारवाई नहीं करेंगे। तो इस प्रकार मुझे खुशी है कि इस बिल के अन्दर कुछ दांत दिए गए हैं कि उनसे पैसा वसूला जाए। यह जो नए प्रावधान इसमें आए हैं, वह बहुत अच्छी बात है जैसे कि सेक्शन 39 में या फिर सैक्शन 45 सी से लेकर एफ तक जो हैं प्रावधान हैं वह अच्छी बात हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इसके दांत मजबूत हो सकें इसलिए सरकार को यह पावर लेनी चाहिए कि ऐसे जो ई० एस० आई० के पैसे नहीं देने वाले कारखाने हैं, उसके बोर्ड आफ डायरेक्टर्स वगैरह में हैं, उन लोगों को दूसरा बिजनेस करने का लाइसेंस नहीं दिया जाए। उससे यह ज्यादा डरेंगे बनिस्बत इस बात के कि उन पर मुकदमा चले। मुकदमा तो वह ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, फिर इस शताब्दी में फैसला नहीं होगा इसलिए लिटिगेशन में दे देंगे। इसी तरह से न्यू कांट्रेक्ट उनको नहीं दिए जाएं या कुछ बिजनेस पर उनके चोट की जाए, वह ब्लैक लिस्टिड होकर रह जाएं। वैसे हमारे देश में नागरिकता में भी गड़बड़ हो जाती है। इण्डियन रहता है और फारेन सिटिजनशिप ले लेता है। कमीशन उधर से उधर हो ले लिया, हम चिल्लाते रह जाते हैं। हम कहते हैं कि इण्डियन है और सरकार कहती है कि फारेन सिटिजनशिप ले लिया और अमरीका कहता है कि ग्रीन कार्ड दे दिया, तो बड़ा झंझट है। लेकिन फिर भी ऐसा किया जाए, यह मैं चाहता था कि यह प्रावधान हो। अगर मंत्री महोदय चाहें तो यह सैक्शन जो है, जो रुपया वसूलने, सख्ती करने का है, उसको तो जब चाहें हम पास करने के लिए तैयार होंगे। यह अच्छी बात है इसलिए उसमें हम सहयोग करेंगे।

अब कुछ बातें हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं कि नए दृष्टिकोण की जरूरत है। यह बिल पुराने ही दृष्टिकोण से है। अपने देश में जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजों ने हास्पिटल खोले थे चैरिटी के। जब गुलामी खत्म हुई, आजादी आई तो हमने कहा कि यह स्वास्थ्य है, चिकित्सा का हरेक सिटिजन को यह अधिकार है।

[श्री चतुरानन मिश्र]

राज्य उसकी देखभाल करे, राज्य उसको दे। अब सरकार कहती है कि इतना पैसा नहीं है, इसलिए हम सभी सिटिजन को गारण्टी नहीं दे सकते हैं। तो एक दूसरा तरीका आया कि मजदूर भी कंट्रीब्यूट करेगा, मालिक भी कंट्रीब्यूट करेगा और जैसा कई देशों में है, सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन हमारी सरकार ने स्वदेशी तरीका निकाल लिया कि मालिक भी कंट्रीब्यूट करे, मजदूर भी कंट्रीब्यूट करे लेकिन सरकार कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगी और नाम चला सरकार का : एक पुरानी कहावत है हमारे यहां कि "गांव महाराजी की, बांट करे बक्सी"। जो पुरानी सल्तनत थी और जो दूसरी तरफ के सर्विसिज वगैरह करने वाले थे वह गांवों का बंटवारा कर देते थे कि कौन किस गांव की करेगा। तो जब रुपया है मजदूर का वह रुपया मजदूर और मालिक का और प्रशासन सरकार का इस संशोधन में दिया है, उससे उस कोष का भारी हिस्सा ऐडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट में चला जाएगा। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार अधिकार ले लेती है, जैसा कि इस बिल के पेज 13 में चार-पांच बार यही बात आई है "ऐज प्रिस्क्राइब्ड बाई दि सेंट्रल गवर्नमेंट" मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि कानून बनाने में इतनी देर लग जाती है, कुछ करना चाहते तो ये लोग कर नहीं पाते हैं और विभाग भी इनका धमना सांप है। तो यह भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा ख्याल है कि नया दृष्टिकोण आप यह अपनाइए कि जब मजदूरों और मालिकों का पैसा है तो जो बोर्ड बने उसको चलाने का काम उनको सौंप दीजिए, सरकार क्यों अपने ऊपर जिम्मा लेना चाहती है? सरकार उसमें अपना प्रतिनिधि रखे। लेकिन जिम्मा क्यों लेती है जैसे मान लीजिए मैटरनिटी बैनिफिट का केस है तो तीन महीने की तनख्वाह देनी है या 6 महीने की, सरकार के सेक्रेटेरिएट को तो प्रसव नहीं होता है, इसलिए जितना जरूरी होता है वह अपने आपस में तय कर लें कि कितने महीने का दें। आप क्यों फिक्र करते हैं? इसी तरह से दूसरे बैनिफिट्स जो है उनको उन्हें तय कर लेने दीजिए। अगर परमानेंटली, स्थाई तौर पर अक्षम हो जाता है तो उनका सुपर-ऐन्युएशन का ऐज हो जाएगा तो बैनिफिट बंद कर दीजिए? तो जब परमानेंटली डिसेबल हो गया तो उसका सुपर ऐन्युएशन क्या होगा? उसको भी जीवन भर नहीं देंगे तो कौन उसकी मदद करेगा? यह तो अमानवीय प्रावधान है कि जिसने अपना जीवन दिया, हाथ दिया, पांव दिए, वह अक्षम हो गया तो उसको सहायता नहीं देंगे तो किसको देंगे? यह इनह्यूमन प्राविजन है। इसमें मालिक पक्ष और मजदूर पक्ष को जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको तय करने दीजिए। सरकार उसमें अपना प्रतिनिधि रखे। किन्तु हस्तक्षप नही करें।

महोदय, एक बात यह भी है कि सरकार ऐडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है ई०एस०आई० का, अच्छी बात है, रुपया जमा है सरकार देखे, लेकिन सरकार का ऐडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा होता है। ऐसी कोई कास्ट बहुत संस्था तो चंदे से चल रही हो, वह सरकार का ऐडमिनिस्ट्रटिव कास्ट वहन नहीं कर सकती है। उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती है; सरकार के पास नासिक प्रेस है, लेकिन ई०एस०आई० के पास नहीं है। अगर मजदूर व मालिक मिलकर इस संस्था का काम करेंगे तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट कम होगी। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस बात की छान-बीन करें कि ऐडमिनिट्रेटिव कास्ट कितनी बढ़ती चली जा रही है तो वह पाएंगे कि जो पैसे मजदूर बड़ी दिक्कत से देते हैं उसका काफी हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट में खर्च हो जाता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर आप जम्मा लेते हैं तो कम से कम, मजदूरों और मालिकों की तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं तो ऐडमिस्ट्रेटिव कास्ट तो वहन कीजिए। इसमें कहा गया है कि आडिट का काम सी.ए.जी. करेगा। अच्छी बात है, आपको सी.ए.जी. के लिए दर्द है और उसको आप आडिट दे रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि आगे चलकर बोफर्स रिपोर्ट के बाद सी.ए.जी. को आप रखिएगा ही नहीं।

**उपाध्यक्ष (श्री मिर्जा इर्शादबेग)** : अपोजिशन मिलकर कहे तो सरकार सोचे। अपोजिशन का भी यह रवैया रहा तो सरकार सोचे।

**श्री चतुरानन मिश्र** : सरकार तो बिना अपोजिशन के समझती है। इतनी बुद्धिमान है सरकार...

**उपसभाध्यक्ष (श्री मीर्जा इर्शादबेग)** : कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन है।

**श्री चतुरानन मिश्र** : हम जानते हैं आपके मन में होगा तो आप करेंगे। आप क्या नहीं कर सकते। क्या आप समझते हैं कि आप बोफोर्स में ही कमीशन पा सकते हैं। आपको अधिकार है आप जो चाहे कर सकते हैं। यह अच्छा प्रोविजन मंत्री महोदय ने दिया है लेकिन मैं यह कहता हूं कि जो आडिट करेगा उसका खर्चा आप वहन कीजिए। आपने यू. एस. आई. प्रबन्ध को इतना कोस्टली बनाया है तो कम से कम इतना भार भी वहन कीजिए। जो आडिट करेगा उसका खर्चा सरकार मीट करेगी। मजदूरों के लिए इतना तो ह्यूमन होना चाहिए, इतना तो मानव दर्द होना चाहिए। मैं तो यह चाहता था कि आप 1/3 शेयर देते लेकिन वह नहीं दे रहे हैं तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट इंक्लूडिंग आडिट का खर्चा आप वहन करें।

एक नयी बात इस विधेयक में हड़ताल पर रहने पर ई.एस.आई. सहूलियत नहीं मिलने की है। हड़ताल हम कराते हैं। आप जानते हैं मंत्री महोदय ने भी करवाई है हड़ताल। यह ऐसी बात है कि जो किसी से छिपी हुई नहीं है। जो भी सदस्य यहां है उसने एक न एक हड़ताल करवाई है। चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने कराई है। हड़ताल के दिनों में हम को बेनिफिट नहीं मिलेगा यह अनुचित है। एक तो सरकार ई.एस.आई. का पैसा नहीं देती फिर सरकार रोक लगाती है कि आप हड़ताल करेंगे तो अपना जमा पैसा भी नहीं ले सकते। हम किस लिए पैसा जमा करते हैं? मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि विदेशों में अमेरिका में, इंगलैंड में ऐसी ट्रेड यूनियनें हैं जिनके पास अरबों रुपया है लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हड़ताल के दिनों में यूनियन कोष से उनकी सुरक्षा हो सके यह होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं एक नयी बात कहना चाहता हूं वह यह है कि पिछले चन्द वर्षों के आप आंकड़े लें तो मालूम पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर टोटल मैनडेज का जो लोस होता है उसका अधिकांश भाग हड़ताल के चलते नहीं लॉक-आउट के चलते होता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि लॉक-आउट तो हमारे मालिक लोग करते हैं तो इस अवधि में इस कोष से सहायता मिलेगी लेकिन हड़ताल अवधि में नहीं होगी। पहले हम लोग नोटिस देते थे चार्टर आफ डिमांड्स देते थे तब हड़ताल पर जाते थे लेकिन आजकल मालिक लोग चार्टर आफ डिमांड्स देते हैं और लॉक-आउट डिक्लेयर करते हैं। बड़ी-बड़ी कम्पनियां जो घाटे में नहीं हैं, बहुराष्ट्रीय बाटा, हिन्दुस्तान लीवर, बिरला वाली; कॉटन मिल साल-साल भर, डेढ़ साल, दो साल लाक-आउट में रहती हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उस दिन जब हमारे बाल-बच्चे भूखों मरते हैं उन दिनों का हम को रुपया मिलना चाहिए या नहीं। हम क्यों जमा करते हैं। इसके लिए एक नया दृष्टिकोण बनाने की जरूरत है जिसका इसमें सर्वथा अभाव है। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा, मंत्री महोदय भी इसको जानते हैं कि मजदूरों में भी जो कमजोर हिस्सा है, जो असंगठित है उसके लिए हम लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ई०एस०आई० स्कीम उधर नहीं जा रही है। मैं बिहार की बात करूंगा। हमारे यहां माइका इंडस्ट्री में मजदूर काम करते हैं उसमें 5 परसेंट मजदूर भी ई०एस०आई० में कवर नहीं होते। जो नियम हैं उसके मुताबिक मजदूर इस स्कीम में नहीं आ पाते। नियम ऐसे बने हैं जिसमें वे फिट नहीं करेंगे। आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसे नियम बनाने चाहिए जिसमें मजदूर फिट करें। ये नियम ऐसे नहीं हैं जिनमें मजदूर फिट करें। आप सर्वे कराकर देखिये। कुछ रिपोर्ट आयी है। मैं कुछ उद्योगों के नाम लेता हूं--बीड़ी वरकर्स

[श्री चतुरानन मिश्र]

फारेस्ट वर्कर्स, स्टोन ब्रोकर्स, बिल्डिंग वर्कर्स और माइका वर्कर्स। इनमें दस परसेंट मजदूर भी इसमें कवर नहीं हैं। वे अत्यन्त शोषित है। नयी परिस्थिति में हम देख रहे हैं एक राजनीतिक स्तर पर सरकार बहुत प्रचार करती है कि कमजोर वर्गों के अंदर वह कुछ करना चाहती है। खेत मजदूर तो हमारे देश का सबसे कमजोर हिस्सा है। तो क्या कोई ऐसा प्रोविजन हम नहीं निकाल सकते कि उनकी ओर से भी इसमें यथा साध्य कंटरीबयूशन हो और उनको इसका फायदा मिले और फिर उनके लिए

4.00 P.M. कोई इंश्योरेन्स करवा सकें, कोई व्यवस्था कर सकें, उनका इलाज हो सके, दवा हो सके, उनकी मेटरनिटी में पैसा दे सकें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इस लिए मैंने कहा न्यू ओरिएन्टेशन होना चाहिए। आजादी की चालीसवीं वर्षगांठ तो हमने मना ली और बाकी के चालीस भी ऐसे चले जाएंगे तो चालीसवीं वर्षगांठ मनाने से क्या फायदा? नये दृष्टिकोण का इस बिल में सर्वथा अभाव है।

आखिर में मैं यह कहूंगा कि जो सहूलियतें हम प्रदान करते हैं उसमें राज्य सरकारों के होस्पिटल्स की हालत तो अत्यन्त ही बद्तर है, लेकिन ई०एस० आई० के होस्पिटल्स की हालत तो उनसे भी बुरी है। ऐसी हालत में हमारे मजदूर कहां जायें और क्या करें। डाक्टरी सहूलियतें उनको नहीं हैं। माइका उद्योग की मैंने बात की। उसमें कुछ साल पहले जांच हुई थी तो पता चला कि हर एक दसवां वर्कर स्लीकोसिस, टी०बी० से पीड़ित है। हमारे पास इसका बड़े पैमाने पर कोई इंतजाम नहीं हैं। फिमैल के लिए ई०एस०आई० के अन्दर बड़े पैमाने पर कोई प्रावधान नहीं हैं जिसमें महिलाओं की देखरेख हो सके। महिलाओं को पंचायतों में स्थान देना तो अच्छी बात है और स्वागत योग्य है, लेकिन वे जिन्दा रहे, उसे देखना और भी ज्यादा जरूरी है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मीर्जा इर्शादबेग)**: जिन्दा रहें और स्वस्थ भी रहें।

**श्री चतुरानन मिश्र**: इसलिए मेरे ख्याल में पहले इसको देखना चाहिए। इसमें फर्क नहीं होना चाहिए। यह मिसमैनेजमेंट यहां बड़े पैमाने पर है। आधुनिक चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, उसका इंतजाम होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इन बातों की ओर ध्यान दे और वह तभी हो सकता है जब सिर्फ सेक्रेटेरिएट के हुक्म से नहीं, बल्कि जो बोर्ड बने उसमें मजदूरों के रिप्रेजेन्टेटिव रहें, मालिकों का पक्ष रहे और सरकार का पक्ष रहे और वे फुल टाइम उसके लिए काम करें। इस तरह से अगर आप इसको नई दिशा देंगे तो यह समाज को आकर्षित कर सकेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह प्रावधान जिसमें 116 करोड़ रुपये बाकी हैं और भी बाकी रखेंगे, उसके लिए आप जितना प्रावधान लाये हैं उसके लिए तो हम बिना मांगे वोट देने के लिए तैयार हैं, उसके पक्ष में हैं। मैं नहीं समझता कि हमारी बातों को समझ कर आप तुरन्त कोई एमेन्डमेंट कर देंगे, लेकिन कोई व्यवस्था इसकी करें कि जो सुझाव हमने दिये हैं उन पर विचार हो सके और लोगों को कोई नया रास्ता दिखाकर इस स्कीम को सफलीभूत बना सकें।

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Bill that is before us moved by the Labour Minister who himself is a labour leader of long standing is unfortunately not up to the mark, coming 41 years after the first Act was introduced. During this long period, various drawbacks in the Act were witnessed. Nothing was done in the matter before 1975. But then, the 1975 report was followed by another report, perhaps six years later in the year 1981. And it took all of these eight years to frame a Bill and present it before Parliament. And it cannot be said, in spite of many changes in many places, that the Bill meets all the requirements of the situation. In certain respects no doubt some improvements would be possible if the

laws are implementned properly. But there is one lacuna. The laws are there, they are not implemented. This Bill extends the scope of ESI to those in a place where ten persons are working with the help of power and twenty persons without the help of power—they will be covered by this Bill. But there are other provisions which give rise to apprehensions that it may not be within the means of the ESI Corporation to extend hospital facilities to all the areas. In this respect some provision has been added. But actually the administrative structure which would enable it to discharge these obligations is not very clear. Certain designations have been changed: Director General and perhaps Financial Commissioner—whether these refer to the same person or whether these are two different officers is not clear from the language of the law in different places. Somewhere it is mentioned 'the Director General and the officer who makes it', in other places it is just 'the Director General and Commissioner'. Such lacuna and loopholes should be removed. Otherwise, such loopholes render the functioning of the organisation difficult. Every attempt should be made to strengthen this organisation to extend its field of operation and to give genuine relief in the form of medical treatment to those who are working in factories as defined in this Bill itself. I do not know whether the definition in this regard should be the same as in other relevant Acts, as, for example, the Industrial Disputes Act. Anyway, even this definition should be properly enforced. It is found that ESI has a very insufficient network and at the same time a very ineffective network which is unable to subserve the interests of those for whom it is meant. There are a few approved doctors; there are some hospitals. But the hospitals are totally inadequate to meet the requirements of the working population residing in a metropolitan area. So they are only token in nature. What will be done to improve this situation is more important. And that brings about the question of proper and sincere implementation. Otherwise, a legislation of this type may give rise to the apprehension that perhaps the interest sought to serve through this legislation is not that of the worker, but by moving the Bill at this stage when the life of the House of the People, not of the parennial House, is about to end—perhaps should have ended earlier—at this point the moving of this Bill may give rise to questions. (*Time Bell rings*).



I am therefore inclined to support the amendment moved by the hon. Member, Shri Dipen Ghosh, for referring this Bill to a Joint Select Committee with persons who have the requisite qualifications and experience. Within a specified period to effect necessary changes in the Bill, to give some more teeth, to make it more responsive to the requirements of the situation

I would therefore, request the Government to consider whether they can accept the amendment by Shri Dipen Ghosh. (*Time Bell rings*)

But before concluding I would add just one sentence. One amendment seems to be very significant, the amendment that 'funeral benefit' should be replaced by 'funeral expenses'. I do not know what particular image the Minister has in mind, even though this Government did not respond to the call for resignation. Therefore, for a decent burial this one-time expense is something which they must not be grudged.

Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Mr. Viduthalai Virumbi. Last speaker.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise here to support the stand taken by the hon. Member Shri Dipen

[Shri S. Viduthalai Virumbi]

Ghosh that the Employees' State Insurance (Amendment) Bill be sent to a Joint Committee of the two Houses.

The substitution of section 63 reads as follows:

> "Save as may be provided by the regulations, no person shall be entitled to sickness benefit or disablement benefit for temporary disablement on any day on which he works or remains on leave or on a holiday in respect of which he receives wages or on any day on which he remains on strike".

This is a new provision. At present what the related portion says is:

> "No person shall be entitled to sickness benefit or maternity benefit, or diablement benefit for tempcrary disablement in respect of any day on which he works and receives wages".

In the seetion as it exists now, there are no words to punish workers who are actually participating in a strike. From this what I understand is that if any sick person join in any strike he will be deprived of the benefits conferred on a person due to sickness or disablement benefit. It clearly shows that it condemns a person who goes on strike even for legitimate demands or good reasons to agitate his grievance by way of strike. Strike is the last weapon used by the workmen community to get their grievances redressed. As such, by crippling the fundamental rights of a worker who goes on strike reasonably the cause will get injured by the proposed amendment. Therefore, I request the hon. Minister to consider the aspect mentioned above and do the needful to protect the rights of the workers. Once again, I support the stand taken by the hon, Member, Shri Dipen Ghosh, that the Employees' State Insurance (Amendment) Bill be sent to a Joint Select Committee of the Houses. With these words, a conclude.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Can I have just two minutes, Sir? Mr. Vice-Chairman, Sir, I only want to add my support to the views of the hon. Members that this is a very important Bill. It has come after a long time. Normally, I am one of those who believe that the Bill should go to a Joint Select Committee. But I agree with the hon. Members that our joint Select Committees have been functioning in a manner that it may further delay the process. But there are two or three clauses to which want to draw the attention of Dubeyji.

One is this Clause 25 which so many Members have commented upon. I think there is a lacuna in the drafting. The intention that whenever a labourer is drawing wage, when he is working, then he is not entitled to this benefit. You have amended it. So, even if he is on an earned holiday, he is not entitled. That means that he is getting wage. O. K. Now we have added "or he is on strike". Now we do not know whether he will get wages or he will not get wages merely being on strike. The strike may be legal. In the ultimate settlement, sometimes he gets wages and sometimes he does not get wages for the strike period. So the amendment should be that even if he is on strike, if he gets wages, then he is not entitled. But if he loses wages, then he should be entitled to this benefit. Strike is a legal right of the workers. He cannot be punished merely because he is on strike. So, I think there is a lacuna in drafting. I would like Dubeyji to look into it.

The second point, which Shri Chaturanan Mishra also raised, was about these dues of 116 crores of rupees. I request the hon. Minister to bring forward another amendment. There should be no dues of Provident Fund or E.S.I. It can be achieved very easily. The banks should be instructed to pay the E.S.I. amount, by debiting the company. No manufacturing unit in India can function without a bank. If the unit is sick and if the bank has got a debit of one crore of rupees,

it can be one crore and one lakh of rupees. Workers' dues should not be withheld by anybody. This can be done easily with the cooperation of the banks. Commercial bank should be instructed to the effect that the Provident Fund and E.S.I. amount should be credited on the due dates and the companies should be debited. If the companies have no money, it is the problem of the banks. But the companies cannot run on the workers' money. This can be very easily done. It is my suggestion. Dubeyji should look into it. An amendment can be brought in the next session. Provident Fund and E.S.I. dues can be zero just like the electricity and telephone bills. Our lines are disconnected in 15 days. There is no question of anybody running after us. If the electricity bill is not paid, the line is disconnected. Similarly, if the E.S.I. or Provident Fund money is not paid, bank account should be frozen. A company cannot run like this. First pay the money and then the company will run.

These are my two suggestions. Dubeyji can look into them. Thank you.

**श्रम मंत्री (श्री बिंदेश्वरी दुबे) :** उप सभाध्यक्ष जी, ई.एस.आई. अमेंडमेंट बिल का करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है, स्वागत किया है और कुछ सुझाव भी दिये हैं। इसके लिए मैं उनका बड़ा आभारी हूं। श्री दीपेन घोष जी ने एक संशोधन दिया कि इसको पार्लियामेंट्री जायंट कमेटी को भेज दिया जाए। यह भाषण कर रहे थे कि जहां पहले उन्होंने इतनी जोरदार शिकायत की कि इन संशोधनों को लाने में सरकार ने अत्याधिक देरी कर दी है, इस से बड़ा नुकसान हुआ और सरकार को इस बात के लिए जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इतनी देर आखिर क्यों कर दी, आज जब उन्होंने यह कहा कि इसको जायंट सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाए तो मुझे आश्चर्य हुआ लेकिन मेरे जवाब देने के पूर्व ही बहुत से माननीय सदस्यों ने ही उसका उत्तर दे दिया कि पूर्व में ही काफी विलम्ब हो चुका है अब इसमें और अधिक विलम्ब नहीं होने दिया जा सकता है, इसलिए जो संशोधन है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता और यह कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि कोई भी चीज चाहे बिल हो या कोई भी चीज हो वह बिल्कुल पूर्ण है, उसमें बिल्कुल ही पूर्णता है, उसमें कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, हो सकता है इन संशोधनों के बाद भी अनुभव से यह पता लगे कुछ और संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है, यह भिन्न बात है, लेकिन अब तक जिन दो कमेटियों की अनुशंसाओं की, रेकमेंडेशंज की श्री दीपेन घोष जी ने और जिन सदस्यों ने चर्चा की उन्होंने काफी छान-बीन कर अपने सुझाव दिए। उन सुझावों को एक कमेटी के सुझाव को, फिर दूसरी कमेटी, पहली कमेटी कार्पोरेशन ने बनाई भी फिर चूंकि पार्लियामेंट के सामने अमेंडमेंट लाना था, पार्लियामेंट के प्रति सरकार की एकाउंटेबिलिटी है इसलिए सरकार ने उन संशोधनों को फिर देखने के लिए एक कमेटी बनाई कि वह कमेटी ठीक से देख ले कि उन संशोधनों को उसी रूप में लाने की आवश्यकता है या नहीं। उस कमेटी ने फिर देखा, उन्होंने अपनी अनुशंसा दी कि यह संशोधन पार्लियामेंट के सामने लाना चाहिए। उसके बाद तब तक जो अनुभव हुए थे उस अनुभव के आधार पर इसकी छानबीन की जा रही थी, संशोधन बनाए जा रहे थे किस रूप में संशोधन लाए जाएं, उसकी क्या लैंग्वेज वगैरह हो, इस बीच में कुछ प्रैसिंग नीड्स आए ऐसा नहीं कि बिल्कुल संशोधन नहीं हुआ। अब उस बीच में वेज रिवीजन्ज हो रहे थे 1984 में एक संशोधन आया, माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जिसमें कि इस संशोधन के माध्यम से वेज के कवरेज को बढ़ाया गया एक हजार से एक हजार छः सौ किया गया। संशोधन के माध्यम से ओकूपेशनल डिज़ीजिज की प्रोविजन्ज की गई और उसकी एक शैड्यूल बनी कुछ और भी माइनर संशोधन हुए। लेकिन

[श्री बिंदेश्वरी दुबे]

जो रेगुलेशंस थे एक कांप्रेहेंसिव बिल के रूप में सारे संशोधनों को एक साथ समावेश करके लाया जाए, वह हो नहीं सका और इसलिए इस पर पुनर्विचार हुआ। पुनर्विचार करने के बाद अब तक के जो अनुभव रहे हैं भिन्न-भिन्न कारणों से इस कार्पोरेशन के फंक्शनिंग में कठिनाइयां हुई हैं इस कार्पोरेशन के बनाने के उद्देश्यों की सफलता में जो कठिनाइयां रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए संशोधन लाए गए। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यद्यपि यह एक आटोनोमस कार्पोरेशन होना चाहिए था लेकिन वस्तुतः यह है नहीं, यह बात सही है कि यह गवर्नमेंट ऑटोनोमस कार्पोरेशन है, पार्लियामेंट के इनेक्टमेंट के कानून के मुताबिक यह कार्पोरेशन बना। लेकिन यह बात भी सही है कि जो इसको आटोनोमस करेक्टर होना चाहिए, वह नहीं रहा और उसकी बहुत कम आटोनोमी फंक्शनिंग रही, नाम-मात्र की रही। इसीलिए इस संशोधन के द्वारा, अगर माननीय सदस्य गहराई से देखें तो उसको बहुत सी आटोनोमी दी जा रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य-तौर पर एक बात कहता हूं कि आज सबसे बड़ी कठिनाई जिस बात को लेकर हो रही है और जिस बात के लिए बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है इस कारपोरेशन की, जिसकी चर्चा उन माननीय सदस्यों ने भी की, जिन्होंने कि समर्थन किया है, स्वागत किया है कि इस बिल को बिल्कुल पास होना चाहिए, उन्होंने भी उन त्रुटियों की चर्चा की, उन आलोचनाओं की चर्चा की और वह है——ई. एस. आई. के अस्पतालों की दुरवस्था। जो कुछ उन्होंने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। ई. एस. आई. का जहां तक है इन्जयूरी, कैश इन्जयूरी बेनिफिट हैं डिसएबल बेनिफिट हैं परमानेण्ट डिसएबल बेनिफिट है पेंशन वगैरह हैं उसके बारे में शिकायत नहीं होती सबसे ज्यादा शिकायत जो ई. एस. आई. के हॉस्पीटल हैं, डिसपेंसरीज हैं, उसके बारे में होती है। यह बात सही हैं कि न सिर्फ बाहर कारपोरेशन की जो बैठक मैंने अटेण्ड की है अभी तक, चेयरमैन की हैसियत से, प्रत्येक बैठक में न सिर्फ कर्मचारियों के प्रतिनिधि बल्कि मालिकों के प्रतिनिधि जो कंट्रीब्यूट करते हैं कारपोरेशन फंड के लिए, उन्होंने पुरजोर आवाज में हॉस्पीटल की फंक्शनिंग की, हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी की, हॉस्पिटल्स की दुरवस्था की। यह बात भी सही है, इंकार नहीं करता मैं इस बात से कि उन्होंने यह भी कहा, अगर आप सही मेडिकल केयर नहीं दे सकते हैं इस आधार पर तो, तो आप हमको इससे मुक्त कर दें ई. एस. आई. से लेकिन आखिर यह दुरवस्था है क्यों ? इस पर कृपया विचार करें और उस दुरवस्था को दूर करने का इसमें प्रावधान है। यहां हॉस्पीटल चलाने के लिए जो निधि की आवश्यकता है, कारपोरेशन स्वयं हास्पीटल सिर्फ दिल्ली यूनियन टेरिटोरी में चलाता है, बाकी सारी जगहों पर, शुरू में ही चूंकि कारपोरेशन बनी तो फिर सोशल सिक्योरिटी मेजर इस देश में अपनाया गया और मैं कह सकता हूं आज कि दुनियां में संभवतः एक सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी मेजर आर्गेनाइजेशन सेक्टर वर्किंग क्लास के लिए है, जिसमें 62 लाख लोग कवर्ड हैं, जिसके बेनेफिशयरीज ढाई करोड़ लोग हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जब यह एक्ट के जरिए कारपोरेशन का बना तब इस कारपोरेशन का अपना कोई केडर नहीं, अपना कोई आर्गेनाइजशन नहीं मुझे ऐसा प्रतीत होता है सरकार की चिंता थी कि तत्काल इसकी सुविधाएं प्राप्त हो जायें लोगों को, इसलिए जहां कंट्रीब्यूशन का कोई प्रोविजन किया वहां इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चरल डवलपमेंट सीधा कारपोरेशन यहां बैठकर विकसित कर लेगा, ऐसा विश्वास नहीं था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि कारपोरेशन हॉस्पीटलों के निर्माण का पूरा खर्च देगा, डिस्पेंसरीज का पूरा खर्च देगा, हॉस्पीटलों में जो उपकरण आएंगे उसका पूरा खर्चा देगी। लेकिन अस्पतालों का एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, उसे चलाने का पूरा दायित्व राज्य सरकार को दे दिया गया और यह कहा गया कि ठीक है उसकी नान-रिकरिंग एक्सपेंडिचर पूरी ही कार्पोरेशन की निधि से होगी लेकिन चूंकि आपको जवाबदेही दी जाती है इसलिए फंड्स आप पूरी सतर्कता से खर्च करें, ठीक से उसका उपयोग हो। इसके लिए 7/8 कार्पोरेशन

देगी और 1/8 राज्य सरकार देगी और राज्य सरकार उन अस्पतालों को चलाएगी क्योंकि उन कर्मचारियों के प्रति राज्य सरकार की भी जवाबदेही है। चूंकि मालिकों ने अपने आब्लिगेशन को नहीं निभाया था तो उनको कहा कि आप कंट्रीब्यूट करो, चलाएंगे हम और चलाने के लिए यह अधिकार राज्य सरकार को डेलिगेट कर दिए गए अब आज जो दुरावस्था है, मैं राज्य सरकारों की कठिनाइयों के बारे में भी कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं नहीं कहूंगा तो यहां लोग तुरंत राज्य सरकारों के डिफेंस में खड़े हो जाएंगे। मैं राज्य सरकार में रहा हूं, इसलिए मैं उनके बारे में बताऊंगा. कार्पोरेशन उन डिस्पेंसरीज को चलाने के लिए 7/8 देती है और 1/8 राज्य सरकार देती है, इसलिए अगर वहां दुरावस्था है, संतोषजनक दुरावस्था है और लोग उसको बिल्कुल निजात पाना चाहते हैं, उसे निकालना चाहते हैं तो उसका उत्तरदायित्व कार्पोरेशन पर नहीं राज्य सरकार पर है। अगर उनके पास कुछ शिकायत है तो वह सिर्फ राज्य सरकार को सलाह देने से कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार की भी कोई कठिनाइयां है। जो फंड्स कार्पोरेशन राज्य सरकारों के पास अस्पतालों को चलाने के लिए भेजती है, तो आज देश में कार्पोरेशन के अस्पतालों की संख्या 100 से ऊपर है। राज्य सरकारों के पास जो फंड्स जाता है वह उनके कंसोलिडेटेड फंड में चला जाता है। अगर वह सीधे श्रम विभाग के पास चला जाए तो शायद कुछ अच्छा इंतजाम हो सकता है। कंसोलिडेटेड फंड के साथ उसकी भी वोटिंग होती है और उसके बाद के प्रोसिजर के अनुसार ट्रेजरी में जाता है और फायनेंस डिपार्टमेंट की स्वीकृति के मुताबिक उसकी पार्ट बाई पार्ट रिलीज होती है इस तरह राज्य सरकार की जो प्रक्रिया है उसमें उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं उनकी निधि को खर्च करने की। वह दूसरे कामों के लिए अच्छी भी हो सकती है लेकिन अस्पताल के लिए वह ठीक नहीं है। इसलिए जहां उनके अस्पतालों की हालत भी संतोषजनक नहीं है और चूंकि उन्हें अपने अस्पतालों को प्रायरिटी देनी पड़ती है, ई. एस. आई. के अस्पतालों की हालत उससे भी ज्यादा बदतर। यह बात सही है कि लेकिन यह बात सही नहीं है कि राज्य सरकार के श्रम मंत्रियों ने कहा कि हम इसकी हालत सुधारना चाहते हैं, हमें दीजिए। वह तो उन्हें दिए हुए हैं। मैंने तो कार्पोरेशन के चेयरमेन की हैसियत से श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि चूंकि आप इसे नहीं चला पा रहे हैं इससे कर्मचारियों में भयंकर असंतोष फैल रहा है। कार्पोरेशन की मीटिंग में इस बात के लिए एम्प्लायर और एम्प्लाइज दोनों शिकायत करते हैं कि हम पैसा देते हैं लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। इसलिए आप 1/8 जो देते है वह नहीं दीजिए, कार्पोरेशन पूरा का-पूरा खर्च करने को तैयार है। आप सिर्फ मैनेजमेंट के लिए तैयार हो जाये। मैंने तो यहां तक कहा, इस पर भी राज्य के श्रम मंत्रियों में सहमति नहीं हो पायी। यह दुखद बात है कि इस पर राज्यों के श्रम मंत्रियों में सहमति नहीं हो पायी। कुछ राज्यों के श्रम मंत्रियों ने कहा कि हम अपनी पूरी कैबिनेट से पूछेंगे, अपने मुख्य मंत्री से पूछेंगे। हमने कहा कि आप पूछकर जल्दी खबर दीजिए। चूंकि अब यह बात इतनी बिगड़ चुकी है इतना सिर से ऊपर पानी आ गया कि इसमें बिल्कुल अब इंतजार नहीं किया जा सकता और पिछली कारपोरेशन की मीटिंग में, मैं जब प्रिसाइड कर रहा था, लोगों ने बड़े ही कठोर शब्दों में कहा कि या तो कारपोरेशन सारे अपने हास्पिटल्स की व्यवस्था अपने हाथ में लेले और नहीं तो ई. एस. आई. कारपोरेशन को बंद करे। मैंने राज्य सरकारों को लिखा है कि कार्पोरेशन सारे कारपोरेशन के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की व्यवस्था स्वयं करना चाहती है और कारपोरेशन को वह भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वह उसको नहीं लेना चाहती है, लेकिन अभी तक उसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि जो एक्ट है उसमें एक प्रविजन है, इनेबलिंग प्राविजन है कि कारपोरेशन उसका टेक ओवर कर सकती है. यह इनेबलिंग प्राविजन है, लेकिन राज्य सरकारों को हमने अवसर दिया है, उनसे पूछा है। यह भी कहा गया है कि आपसे हम पैसा नहीं लेंगे। उनको दो-दो बार कहा है, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में कि क्या व्यवस्था है, आप स्वयं जाकर देखें। उसके बाद भी अगर नहीं होगा तो इस एक्ट में यह शक्तियां प्रदत्त हैं कारपोरेशन को कि वह उसका इंतजाम ले सकती है और इसको दृष्टि में रखते हुए कि लेना

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

पड़ रहा है, सेंट्रल कारपोरेशन का इसे गवर्न किया जाता है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इसमें राज्य और केन्द्र के अधिकारों का कोई विवाद नहीं है। यह कारपोरेशन एक ऑटोनोमस कारपोरेशन है। जो-जो शक्ति प्रदत्त की है कांस्टिट्यूशन ने राज्य सरकारों को और केन्द्र सरकार को, उसमें कोई इंटरफियरेंस का प्रश्न नहीं आता। कांस्टिट्यूशन में यह शक्ति नहीं दी गई है कारपोरेशन में, इसलिए अगर इसको ले ले कारपोरेशन जिसका पूरा नाम रिकरिंग एक सेंडिकर कारपोरेशन करती है, रिकरिंग का स्टेटस देती है तो उससे राज्य सरकारों को और केन्द्र सरकार के जो कांस्टिट्यूशनल पावर्स हैं, या जो उनके संबंध हैं, या को-आपरेटिव फेडरेलिज्म का जो कांसेप्ट है उसमें कुछ उसका टकराव नहीं होता। **(व्यवधान)**...

**कुमारी सईदा खातुन (मध्य प्रदेश)** : मान्यवर, मैं आपका सिर्फ एक मिनट लूंगी सिर्फ यह मालूम करने के लिए कि ई० एस० आई० के जो हास्पिटल्स हैं, उसमें लेबर्स के ही उपचार का प्रावधान है उसमें क्या कम से कम 10 परसेंट उसी क्षेत्र के रहने वाले, जहां कि दूसरे अस्पताल नहीं है सिर्फ ई० एस० आई० हास्पिटल हैं, उसमें बाहर के क्षेत्र के लोगों को भी कम से कम 10 बैड आप उसी क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध कर सकते हैं ?

**श्री बिन्देश्वरी दुबे**: महोदय, यह अलग बात है, यह इससे संबंध नहीं रखता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ बातों की ओर चर्चा हुई जिसके संबंध में हम समझते हैं कि कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ में गलत फहमी भी है। जैसा कि एक सैक्शन की विशेष चर्चा सभी सदस्यों ने की कि वह एक नया प्रोविजों कर रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि हम उनको सिकनैस बैनिफिट नहीं देंगे अगर वह हड़ताल पर होंगे। मेरा ख्याल है कि इस संबंध में कमल जी ने जो बात कही, उसमें बात नहीं है। ड्राफ्टिंग में भी गलती नहीं है लेकिन कुछ कन्फ्यूजन थोड़ा सा पैदा हो गया। दरअसल बात यह है कि हम यह नहीं कहते कि किसी स्ट्राइक में अगर कोई बीमार पड़ तो उसका हम अपने अस्पताल में इलाज नहीं करेंगे, उसमें हम सिर्फ यह कहते हैं कि जो उसको कैश बेनिफिट मिलने की या इसरी बेनिफिट है, वह हम नहीं देंगे। जो कानूनी हड़ताल है उसकी वेजेज भी मिलती है, यह बात नहीं है।

**श्री दीपेन घोष** : लाक आउट में क्या होगा ?

**श्री बिन्देश्वरी दुबे**: श्रीमन, अभी तक का जो सिद्धांत है, वह है 'नो वर्क नो पे'। यह आप जानते हैं। यह बाइ एग्रीमेंट है जहां हड़ताल का पैसा मिलता है। सवाल यह है कि अगर वह बीमार हो जाए तो उसके इलाज का इंतजाम हम करेंगे, लेकिन जो इंजुरी का कैश बैनीफिट है या डिसेबलमेंट का कैश बैनीफिट हम देते हैं तो वह जब काम पर आते हैं और जब इंजुरी होती है उनके फलस्वरूप डिसेबलमेंट होता है, परमेनेंट या पार्शल डिसेबलमेंट होती है या वह मर जाता है तो उसके परिवार वालों को बैनिफिट मिलता है।

SHRI DIPEN GHOSH: Previously, it was. If he works and receives wages. Now you have proposed the amendment: If he is on leave or on holiday and receives pay/wages, he will be entitled to temporary disablement benefit, but while on strike he will not get. Why; What is the concept?

**श्री बिन्देश्वरी दुबे**: उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री दीपेन घोष जी भी श्रमिकों के नेता है और हिमायती हैं, मुझे भी सेवा करने का अवसर मिला है

**श्री दीपेन घोष**: छुट्टी पर बैठ जाएंगे तो डिसेबल का पैसा मिलेगा, लेकिन हड़ताल पर होंगे तो नहीं मिलेगा ?

**श्री बिन्देश्वरी दुबे** : इनको धीरज रखना चाहिए, जिस बात की चर्चा मैं नहीं करना चाहता था, दीपेन घोष जी ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इसकी चर्चा करूं। इसलिए जिनके वे नेता उनकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता था लेकिन इसका इतना मिसयूज हो रहा है इस

लिए करना पड़ा। स्ट्राइक के एक दिन पहले डाक्टर को डराकर लिखवा लिया कि स्ट्राइक के पहले दिन रात को वे बीमार पड़ते हैं और ऐसे बीमार पड़ते हैं कि 20 दिन आराम करने की जरूरत है और 20 दिन हड़ताल है। हड़ताल की नोटिस दी हुई है कि 12 तारीख से हड़ताल होने वाली है और 11 की शाम को जाकर लिखवा लिया कि बीमार हैं। तो अपने देश की सामाजिक परिस्थिति आप जानते हैं, उनसे आप अनजान नहीं हैं। तो उनको इंज्यूरी या डिसेबलमेंट का बैनीफिट जो दिया जाता था उसका मिसयुज हो रहा है। इसको रोकने के लिए यह किया गया है। मैं इसको नहीं कहना चाहता था लेकिन दीपेन घोष जी ने हमको मजबूर किया। हम चाहते हैं कि मजदूरों को पूरी सुविधाएं मिलें, उनके लिए मैं सबकुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि मजदूर ईमानदार रहें, हम यह भी चाहते हैं कि मजदूर उनको दी जाने वाली सुविधाएं बेईमानी से न लें।

SHRI DIPEN GHOSH: Will you agree that on the eve of declared strike no medical certificate will be entertained?

**श्री बिन्देश्वरी दुबे** : उपसभाध्यक्ष महोदय, इंटरप्शंस को रोका जाए, यह उचित नहीं है।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Hon. Minister says, workers are dishonest.

SHRI DIPEN GHOSH: On the eve of declared strike no medical certificate will be entertained. If he wants to plug the loopholes of misuse he can do it in a different way.

**श्री बिन्देश्वरी दुबे** : यह इसीलिए किया गया है कि इसका मिसयूज न हो। हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि इस बिल की सारी अमेंडमेंट्स को मैंने खुद माइनूटली देखा है।

**श्री दीपेन घोष** : लाकआउट के बारे में कहिये।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे** : कोई ऐसा प्रोविजन नहीं रहने दिया है जिससे मजदूरों का कोई अहित हो। आप जो यह चाहते हैं कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज कर और देर करें तो मेरा विनम्र सुझाव होगा कि आप इसको बिल्कुल एक दिन भी देर न कीजिए। आज जो स्थिति है उस में परिवर्तन करना बहुत आवश्यक है। आप देर करने की सोच सकते हैं, उसके पीछे निःस्वार्थ हो सकता है। हम इसको चाहते हैं कि एक दिन इसमें देर न की जाए। यह पार्लियामेंट आप ही पास करें अगर श्रमिकों के साथ सहानुभूति रखते हैं। मैं समझता हूं रखते हैं।

यह एक कम्प्रीहेंसिव बिल है। इसमें जितनी भी खामियां या लूपहोल्स हो सकते हैं जिनसे कारपोरेशन की फंक्शनिंग में कठिनाई हो सकती थी उसको दूर करने की कोशिश की है। मैं एक बात बताता हूं डाक्टर्स की अपाइंटमेंट के बारे में। क्लास ए और क्लास बी के बारे में ऐसा प्रोविजन है कि डाक्टर्स की सारी अपाइंटमेंट्स यूपीएससी के थ्रू होंगी। हमारे यहां यूनियन टैरेटरी दिल्ली में अस्पतालों को कारपोरेशन [illegible] चलाते हैं। डाक्टरों की वैकेन्सी [illegible] में मैं [illegible] के पूर्व के साल [illegible] वैकेन्सीज थीं। इसके पहले यूपीएससी को [illegible] के लिए भेजा गया था। इ[illegible] साल लग जाता है और इस दौरान मान लो 40 वैकेन्सीज होती हैं तो दो-चार और बढ़ जायेंगी। इतनी वैकेन्सीज भरी नहीं जायेंगी तो रोगियों के साथ कैसे न्याय कर पायेंगे। जिसने पैसा दिया है, जिसने कंटरीब्यूट किया है उसके साथ उचित न्याय नहीं हो पाता। स्टेट गवर्नमेंट्स का भी यही हाल है। मैं बंगलौर गया था तो 500 बैड वाले होस्पीटल में गया था। जब वार्ड में जा रहा था तो वहां हल्ला हो रहा था। रीजनल डायरेक्टर को कुछ लोगों ने घेर लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हल्ला क्यों हो रहा है। उसको मारने वाले थे। मैंने सुपरिन्टेंडेंट से पूछा कि यह क्या बात है। उन्होंने बताया कि 36 वैकेन्सीज को भरने के लिए हमने एक साल से

[ श्री बिंदेश्वरी दुबे ]

हैल्थ डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। अब बताइये हम क्या करें। डायरेक्टर ने कहा कि हम तो फाइल बढ़ाये हुए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन से जब आयेगा तो कुछ होगा। हम क्या कर सकते हैं। इस कठिनाई से मुक्त होने के लिए अगर हम सारे इंतजामात अपने हाथ में ले लें, हमारे से मतलब कारपोरेशन सारे इंतजामात ले लें, एक प्रोविजन डाक्टरों के बारे में इसमें दिया हुआ है कि मेडिकल आफिसर्स की रिक्रूटमेंट कारपोरेशन स्वयं करेगा। उसको यूपीएससी के परव्यू से निकाल दिया। उसको बड़ी आटोनोमी दी गयी है।

**श्री दीपेन घोष** : अपने आदमी को काम देने की सुविधा हो जायेगी।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे** : हम कोई सारी जिन्दगी हो यहां बैठे नहीं रहेंगे।

**श्री दीपेन घोष** : आप नहीं, कारपोरेशन देंगे।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे**: यह तो आपका दिमाग है। जिसका जैसा चश्मा है उसको जैसा ही दीखता है। जिसका जैसा भाव है उसको वैसा ही दीखता है दीपेन घोष जी की दृष्टि साफ है...

SHRI DIPEN GHOSH: When Government is trying to strengthen the UPSC, he is taking the appointments right out of the purview of UPSC.

**उपसभाध्यक्ष (श्री मीर्जा इर्शादबेग)** : इन्होंने कहा है कि आपकी दृष्टि साफ है।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे**: उपसभाध्यक्ष जी, दीपेन घोष जी का दिल और दिमाग सब साफ है। मैं कह सकता हूं कि आंखें भी साफ हैं। चश्मा भी ठीक ही लगा हुआ है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ-साथ लैंस नहीं बदला गया। वह पुराना ही दिखाई पड़ रहा है।

**श्री दीपेन घोष** : उम्र के साथ-साथ आपका चश्मा कलर्ड हो गया है। उम्र बढ़ती गयी और चश्मा कलर्ड होता गया।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे**: उम्र बढ़ने के साथ-साथ मेरा लैंस भी बदला गया।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मीर्जा इर्शादबेग)** : नजरें बदलीं तो नजरिया भी बदला।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे** : उपसभाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है सिर्फ यह होस्पिटल्ज की बदइंतजामी का एक कारण यह था कि डाक्टरों की भयंकर वेकेन्सीज भरी नहीं जा सकी थी, फिल अप नहीं कर सके। इसलिये ये पावर्स ले लिये। उसमें जो बेनिफिट देने की पावर्स हैं, कवरेज बढ़ाने की पावर्स हैं और रकम बढ़ाने की पावर्स हैं, हर चीज के लिये एमेंडमेंट के लिये आना पड़ता था। इस एमेंडिंग बिल के जरिये कारपोरेशन के रूल्स के जरिये कर लेंगे। आप जानते हैं कि एक हजार से 16 सौ हुआ तो 1984 में एमेंडमेंट के लिये आना पड़ा और 16 सौ से 25 सौ करेंगे तो उसके लिये भी एमेंडमेंट के लिये आना पड़ेगा। रोज रोज इस एमेंडमेंट को हमने बदला है। लोगों के वेजेज तो बढ़ते जा रहे हैं। अब कवरेज बढ़ाने के लिये, बेनिफिट बढ़ाने के लिये रूल्स फ्रेम कर देंगे। हम बेनिफिटस भी बढ़ाना चाहते हैं। ई.एस.आई. के होस्पिटल्स में हम चाहते हैं कि वे एक मॉडल, एक उदाहरण, प्रस्तुत कर सकें। और सबसे ज्यादा नीड बेस्ड, एक रोगी को स्वस्थ होने के लिये, अच्छी तरह से नीरोगी होने के लिए सुविधायें दे सकें और उसके लिये जितना खर्चा देना पड़ेगा वह देना चाहिये और कारपोरेशन देगा, ऐसा मैं एस्योर करना चाहता हूं। इस लिए उसको हम रूल्स में रखना चाहते हैं। आज एक्ट को एमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छी नीयत से लाया गया है। इसको संदेह की नजर से नहीं देखना चाहिये। हर बात को संदेह से देखना ठीक नहीं है। हर बात के ऊपर संदेह करने से संदेह की प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि परिवार के लोगों पर भी संदेह होने लगता है, अपने बीवी-बच्चों पर संदेह

हो जाता है और स्वयं अपने आप पर संदेह हो जाता है और वह घातक स्थिति हो जाती है। हमारी मान्यता है कि विश्वास से विश्वास बनता है। इसलिये जब तक मेरे पास कोई स्पष्ट प्रमाण न हो तब तक मैं किसी को बुरा नहीं कहता...(**व्यवधान**)।

**श्री दिपेन घोष** : आपको तो कमीशन मिलता है...(**व्यवधान**)।

**श्री बिंदेश्वरी दूबे** : उपसभाध्यक्ष महोदय, कमीशन लेने और देने का तरीका तो इनको ही मालूम होगा। बिंदेश्वरी दुबे के बारे में तो आज तक ऐसी बात कही ही नहीं गई है। मैं इस लिए कांग्रेस में हूं कि मैं मानता हूं कि आज देश में जितनी भी संस्थायें हैं उनमें वह सबसे अच्छी है, पवित्र है और सबसे ज्यादा जन-हितैषी है। आप भी 1977 से 1980 तक सत्ता में रहे, उस वक्त आपने श्रमिकों की चिंता क्यों नहीं की, आप एमेंडमेंट क्यों नहीं लाये। इसलिए आप ये बातें मत कहिए। हम और आपको ऐसे मामलों में जहां लोगों के वेलफेयर की बात हो उसमें राजनीति नहीं लानी चाहिये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन यह कहा गया है कि देर करने की आदत है। हमारे श्री चतुरानन जी के साथ राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे पुराने ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, सिलेक्ट कमेटी में जाने से और देर हो जायेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि जो त्रुटियां हैं उनको दूर कर दिया जाये, लेकिन इसको पास कर दिया जाये। यह एक अच्छी नियत है। कहा गया कि 25 सौ कर दिये जायें। लेकिन हम तो कहते हैं कि 25 सौ से ज्यादा भी कर सकते हैं। तनख्वाहें तो बढ़ती रहती हैं। लेकिन उसके लिये फिर एमेंडमेंट लाना पड़ेगा। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस बिल के पारित होने के बाद 16 सौ का आज कवरेज है, उसको हम 25 सौ करने जा रहे हैं। इसमें हमें देरी की आशंका होती है। लेकिन यह 25 सौ भी रहने वाला नहीं है। यह परिस्थितियों के साथ बदलता जाता है, लोगों के पारिश्रमिक बदलते जाते हैं। इसलिये हम बेनिफिट बढ़ाने के लिये, कवरेज बढ़ाने के लिए संशोधन लाये हैं और इसलिये उसको रूल में रखने की बात है। इसलिये कि कारपोरेशन का फंक्शनिंग अच्छा हो। उसके लिये जो आवश्यक कार्यवाही करने की जरूरत थी वह की गई है। सरकार का नियंत्रण सिर्फ एक बात का है। सरकार यह देखेगी कि कारपोरेशन कुछ ऐसा कार्य न करे जिससे दूसरे जो कानून हैं, लेबर लाज के उससे कोई टकराव हो जाये। जैसा मैट्रेनिटी बेनिफिट की बात है। जैसाकि हमने इनके अंदर आने वाले कारखानों में मैट्रेनिटी बेनिफिट दिया लेकिन बहुत से कारखाने ऐसे होंगे जो ई०एस० आई० से कवर नहीं होंगे। और ई०एस०आई० से जो कवर हैं उनको मैट्रेनिटी बेनिफिट इतना बढ़ा दें और जो नहीं कवर हो वहां न रहे अगर ऐसा करेंगे तो इससे एक असंतुलन पैदा हो जायेगा। इसलिये सरकार एक ब्राड नियंत्रण रखेगी और ब्राड रूल्स फ्रेम करके उसको ध्यान में रखकर चलेगी। हमने यह नहीं कहा कि हम ज्यादा एस्टेबलिशमेंट खर्च करने के लिए कहेंगे। इस बिल में कहा गया है कि एस्टेबलिशमेंट खर्च पर सरकार ध्यान रखेगी कि वह बढ़े नहीं इसके लिये कुछ नार्म्स बना देंगे ताकि कारपोरेशन का मनमाने ढंग से एस्टेबलिशमेंट खर्च न बढ़ जावे। लेकिन कारपोरेशन के स्टाफ जो हैं उस मामले में जो भी फैसला करेंगे वे उस फैसले को लेने में स्वतंत्र होंगे। लेकिन वह जो नार्म्स होंगे उसके भीतर ही होगा क्योंकि इस कानून के अंतर्गत सारे इम्पलाईज की सर्विस कंडीशंस गवर्न होते हैं। अभी तक अगर सरकारी कर्मचारियों का अधिकारियों की तनख्वाहें बढ़ती थी तो कारपोरेशन के लोगों की स्वतः नहीं बढ़ती थी। उसके बाद कारपोरेशन सरकार के पास परमीशन लेने के लिये जाते थे और वह लेबर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता था कि इनका बढ़ाया जाये

[श्री बिंदेश्वरी दुबे]

वा नहीं बढ़ाया जाय । इसमें काफी विलम्ब हो जाता था । तो इसमें वह कहा गया कि जैसे ही सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों के वेतन में सुधार हो साइमलटनसली उनके वेतन में भी सुधार हो । सिर्फ सरकार इसमें यह देखेगी कि वहां पर इससे बड़ स्केल न लागू हो और जो सरकारी कर्मचारियों का वेतन हो वही वहां भी लागू करें । मैं अगर इसके एक-एक प्राविजन को कहने लगूं तो यह आज समाप्त नहीं होने वाला है । मैं कहना चाहता हूं उपसभाध्यक्ष महोदय कि मैंने कई-कई रोज बिताये एक-एक प्रोविजन को देखने में और कोई ऐसी बात नहीं रह गई है जिससे कोई त्रुटि रह जाय । मैंने पहले ही निवेदन किया कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती । हम इसको फिर से देखेंगे । इतने दिनों तक हम लोगों ने असंतोष रहते हुए संतोष के साथ अमेंटमेंड के लिये प्रेस नहीं किया । अगर आप यह कहें कि यह आज ही पूर्ण हो जाय यह मुश्किल है । इसको हम देखेंगे, आप कृपा करके इसको पास कर दीजिए । दीपेन घोष से मैं अनुरोध करुंगा कि आपने जो प्रस्ताव पेश किया है उसको आप वापस ले लीजिए, मजदूरों के हित में वापिस ले लीजिए । मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर इसमें कोई त्रुटि होगी जिससे कारपोरेशन के फंक्शनिंग में कोई दिक्कत होती हो या उससे मजदूरों को कोई कठिनाई पैदा होती हो, जसे कि एक सजेशन कमल जी ने दिया रिकवरी के बारे में । यह जो रिकवरी में कठिनाई होती है इसके लिये अपनी रिकवरी मशीनरी बनाने जा रहे हैं तो क्यों नहीं आप ऐसा करते कि बैंक को कह दें कि उनको पैसा दे ही नहीं । यह सजेशन है । यह रिकवरी मशीनरी क्यों बन रही है । जैसा इनकम टैक्स कलैक्शन होता है, हालांकि उसमें भी बहुत से डिफाल्टर्स होते हैं लेकिन लोग डरते हैं । हम अपनी रिकवरी मशीनरी इसीलिये बनाने जा रहे हैं । हम लोगों ने प्रयोग करके देखा है दक्षिण के 6 राज्यों में रिकवरी के लिये अलग से सेल बनाया । राज्य सरकारों से अधिकारी मांग लिये और उनका एक सेल बना दिया और कहा कि उनका पूरा खर्चा हम रीएम्ब्रेस करेंगे । व हमारे ई.एस.आई. के ड्यूज को रिकवर करने में मदद करते हैं और सर्टिफिकेट वगैरह वही इश्यू करते हैं, साथ ही यह भी कहा सारे ड्यूज रिकवर करने के लिये राज्य सरकार की पुलिस को भी मदद देनी होगी ताकि वह वसूल हो सके । हमने महसूस किया कि इससे रिकवरी अच्छी होती है । इसलिये हमने यह तय किया कि एक इंडिपिडेंट मशीनरी ई०एस०आई० अधिकारियों की बनाये जो रिकवरी के काम में क्यों कि राज्य सरकारों के ऊपर रिकवरी के लिये कई तरह के प्रेशर होते हैं। लैंड रेवेन्यू की रिकवरी है,

5.00 P.M.

कोआपरेटिव की रिकवरी करनी है। और मैं राज्य सरकार में भी रहा हूं, कलेक्टर्स पर इतना लोड होता है कि वे सारी चीजों को कर नहीं पाते हैं। अत्यधिक विलम्ब हो जाता है । हम लोगों ने इसलिए प्राविडेंट फण्ड एक्ट में अमेंडमेंट किया था इसी पार्लियामेंट से, इंडिपेंडेंट रिकवरी मशीन बनायी और उसका फायदा हुआ है । मैंने देखा है उसको, गहराई से देखा है । इसका फायदा हुआ है । 116 करोड़ ई०एस० आई० का ड्यूज है, बात ठीक है । जहां 2300 करोड़ वसूल किया है वहां 116 करोड़ का ड्यूज है । हम जानते हैं कि इंडिपेंडेंट रिकवरी मशीन बनायेंगे और जो पेनाल्टीज के प्राविजन्स हैं उनको स्ट्रिन्जेंट करेंगे तो भी स्थिति कुछ और सुधरेगी लेकिन जो अभी 116 करोड़ का ड्यू है वह ऐसा नहीं है कि मालिकों ने नहीं दिया । कई जगह ऐसा हुआ है कि फैक्टरी बंद हो गयी है । फैक्टरी बंद हो गयी है और फारमल डिक्लरेशन क्लोजर का नहीं हुआ है । ऐसे ही कुछ दिन तक लाक आउट किया । स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी चाहिए । परमिशन भी नहीं ली और स्टेट गवर्नमेंट प्रोसीक्यूट कर रही है, मालिक अनट्रेसेबुल हो गया तो 48 करोड़ बाकी हैं । जो फैक्ट्री बंद है उसका पता ही नहीं लगता है कि किससे वसूलें । तो कई कठिनाइयां इसमें हैं ।

लेकिन एक सुझाव हैं और उस पर हम लोग विचार करेंगे । लेकिन रिकवरी मशीनरी... (व्यवधान)

SHRI DIPEN GHOSH: Mr. Minister, just one second.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Let him finish the reply.

SHRI DIPEN GHOSH: How are you going to tackle a defaulting employer? You may punish them because of the default committed by the employer but the workers stand to lose. The workers do not get the benefits during the defaulting period though they give the contribution.

**श्री बिन्देश्वरी दुबे :** उपसभाध्यक्ष महोदय, उनको इसकी जानकारी नहीं हैं । डिफाल्टिंग पीरियड में कोई वर्कर लूज नहीं करता है ।

**श्री दीपेन घोष :** उन पर रेस्ट्रिक्शन है ना ।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे :** लाक आउट करके मलिक भाग भी जाये ... (व्यवधान) तो भी इम्प्लाइज को हम सारी फैसिलिटीज और सारे बेनीफिटस कन्टीन्यूड रखते हैं । हमसे यह जानकारी ले लें और वे अपनी आदत से मजबूर हैं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं । उनकी आदत बार-बार टोकने की है और मैं कभी टोकता ही नहीं किसी को । कोई बोलता है तो मैं कहता हूं कि बोल लें हमको मौका आयेगा तो हम जवाब दे देंगे । इसलिए मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं । बाकी उनकी आदत है कि दस आदमी खड़े हैं तो खड़े रहेंगे और बैठे हैं तो भी खड़े रहेंगे । हम तो 1952 से, उपसभाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदस्य हैं, हमने उस मर्यादा को देखा है जो पुराने जमाने में लोग निभाते थे । जब आसन पर सभापति या अध्यक्ष खड़े हो जाते थे तो जैसे लगता था कि सांप सूंघ गया हैं, सारे लोग... (व्यवधान) शांत रहते थे, क्या मर्यादा थी... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Let him finish his reply.

SHRI DIPEN GHOSH: He has commented that I do not know. I want to quote from his progress report. मेरी जानकारी नहीं है, इन्होंने बताया... (व्यवधान)

**श्री दीपेन घोष :** उन्होंने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है तो मैं ई०एस०आई० की रिपोर्ट से कोट करूंगा...(व्यवधान)

**श्री बिन्देश्वरी दुबे :** आप बीच में क्यों टोलते हैं । आपको बीच में नहीं टोलना चाहिए । यह बिल्कुल ही अमर्यादित हैं, अनपार्लियामेंट्री हैं ... (व्यवधान)

**श्री दीपेन घोष :** आपने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं जानकारी देना चाहता हूं (व्यवधान)

**श्री बिन्देश्वरी दुबे :** उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर आदेश दें तब आप बोलें... (व्यवधान) अगर आदेश नहीं दें... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): When he is not yielding why are you interrupting him?

SHRI DIPEN GHOSH: I am quoting from the progress report submitted by the ESI Corporation.

**श्री बिन्देश्वरी दुबे :** अगर उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको बोलने के लिए नहीं परमिट करें तो आपको नहीं बोलना चाहिए ... (व्यवधान)

**उपसभाध्यक्ष (श्री मीर्जा इर्शाद बेग) :** आप आगे बोलिए ।

**श्री बिन्देश्वरी दुबे :** आपको पार्लियामेंट के नियमों का पालन करना चाहिए । हम लोग बोलते नहीं हैं । आप लोगों ने जिस तरह से अमर्यादित ढंग से

पार्लियामेंट की सारी मर्यादा को नष्ट करना शुरू किया है, डेमोक्रेसी को जिस तरह से आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका यह व्यवहार इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायेगा, यह आप याद कर लें यह मैं कहना चाहता हूं... (व्यवधान)

**श्री दीपेन घोष**: बाद में देखा जायेगा कि इतिहास क्या होता है।

**श्री बिंदेश्वरी दुबे**: इसलिए जो कुछ भी अमेंडमेंट आया है इस पार्लियामेंट के जरिये मेरा ख्याल है कि वे सारी त्रुटियां दूर हो जायेंगी जिनसे ई०एस०आई० के संबंध में कुछ शिकायतें होती रही हैं, ई०एस०आई० कारपोरेशन को बहुत हद में जो एक स्वायत्तता मिलनी चाहिए थी, वह मिलेगी और उसकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। ऐसा मैं जानता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ श्री दीपेन घोष जी से फिर निवेदन करता हू कि वे अपना अमेंडमेंट वापस कर लें नहीं तो मैं उसका विरोध करता हूं और माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए निवेदन करता हूं कि श्रमिकों के हित में इस बिल को आज ही पास करें। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Now, I shall first put the amendment moved by Shri Dipen Ghosh for reference of the Bill to Joint Committee of the Houses to vote. (*Interruption*)....

SHRI DIPEN GHOSH: Sir, in view of the assurance of the Minister, I withdraw the amendment.

*The amendment was, by leave, withdrawn.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG) Now, I shall put the motion moved by Shri Bindeeshwari Dubey to vote.

The question is:

That the Bill further to amend the Employees' State Insurance Act 1948, be taken into consideration.

*The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

*Clauses 2 to 26 were added to the Bill.*

*Clause 27 (Amendment of section 70)*

SHRI BINDESHWARI DUBEY: Sir, I beg to move:

1. That at page 14, *for* lines 27 to 29, the following be *substituted*, namely:—

Amendment of sections 68 and 70.

"27. In sub-section (2) of section 68 and sub-section (3) of section 70 of the principal Act, the following shall be added at the end namely:—

'or under section 45C to section 45-I'."

This is a consequential amendment.

*The quesion was put and the motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): Now, I shall put clause 27, as amended to vote.

The question is:

That clause 27, as amended, stand part of the Bill.

*The motion was adopted.*

*Clause 27, as amended, was added to the Bill.*

*Clauses 28 to 47 were added to the Bill.*

***Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.***

SHRI BINDESHWARI DUBEY: Sir, I move:

That the Bill as amended, be passed.

*The question was put and the motion was adopted.*

---

**PUNJAB APPROPRIATION (NO. 2) BILL 1989**

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): Sir, I beg to move:

That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Punjab for the services of the financial year 1989-90 as passed by Lok Sabha be taken into consideration.

(The Vice-Chirman, Shri V Narayanaswamy, in the Chair)

As the Hon'ble Members are aware, the Budget of the State of Punjab for 1989-90, was presented to Parliament on the 17th March, 1989 and a 'Vote on Account' to meet the requirements of the State Government for the first six months ending September, 1989 was obtained and the Appropriation (Vote on-Account) Act 1989 was passed in March, 1989.

The Lok Sabha has granted the balance of the Demands for Grants and has passed the connected Appropriation Bill, which is now before this House. To meet the total estimated expenditure during the current year, the Bill provides for the payment and appropriation from and out of the Consolidated Fund of Punjab a total sum of Rs. 4,952.49 crores....(*Interruption*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Dipen Ghosh, the Minister is on his legs. Kindly take your seat. (*Interruption*)..

SHRI KAMAL MORARKA: The Minister being on his legs is nothing. If the Chair is on the legs....(*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The hon. Ministerison his legs.

SHRI KAMAL MORARKA: The Minister is not the Chair. I am sorry. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Why not?

SHRI KAMAL MORARKA: The Minister is not the Chair. I am sorry.

SHRI B. K. GADHVI: What the Chair says is about the etiquette of the Member on the floor of the House.

SHRI KAMAL MORARKA: We do not need any homilies on etiquettes from the Minister.

SHRI B. K. GADHVI: No. No. I am saying what the Chair points out.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Members should not disturb when the Minister speaks. That is what I am saying. (*Interruption*)

SHR B. K. GADHVI: ....comprising in Rs. 3272.05 crores voted by the Lok Sabha and Rs. 1680.44 crores charged on the Consolidated Fund of the State and is inclusive of the sum earlier authorised for withdrawal under the Punjab Appropriation (Vote on Account) Act 1989. Sir, in March 1989 while discussing the Appropriation (Vote on Account) Bill, this House had a general discussion on the Punjab Budget for 1989-90. I do not, therefore, wish to take the time of the House by again dwelling upon the various provisions in the Budget. I shall, however, endeavour to deal with the points that may be raised by hon. Members, in my reply to the discussion.

*The question was proposed.*